Postal Reg. No.GDP -45/2020-2022

अल्लाह तआला का आदेश

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۭ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

(अन्फ़ाल : 30)

अनुवाद : हे लोगों जो ईमान लाए हो! यदि तुम अल्लाह से डरो तो वह तुम्हारे लिए एक विशेष पहचान बनादेगा और तुम से तुम्हारी बुराइयों को दूर करेगा और वह तुम्हें माफ कर देगा और अल्लाह बड़े बड़े फ़ज़ल करने का मालिक है।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

वर्ष- 8
अंक-25-26

साप्ताहिक क़ादियान
बदर
Weekly
BADAR Qadian
HINDI

मूल्य
600 रुपए
वार्षिक

संपादक
शेख़ मुजाहिद
अहमद

उप संपादक
सय्यद मुहियुद्दीन
फ़रीद

03-10 ज़ुल्- हज्जा 1444 हिज्री कमरी, 22-29 अहसान 1402 हिज्री शम्सी, 22-29 जून 2023 ई.

अख़बार-ए-अहमदिया

रूहानी ख़लीफ़ा इमाम जमाअत अहमदिया हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहिब ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाह तआला बिनस्रिहिल अज़ीज सकुशल हैं। अलहम्दो लिल्लाह। अल्लाह तआला हुज़ूर को सेहत तथा सलामती से रखे तथा प्रत्येक क्षण आप पर अपना फ़जल नाज़िल करता रहे। आमीन

आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की वाणी

तीन व्यक्ति जिन से अल्लाह क़ियामत के दिन न बात करेगा और न उन की तरफ़ देखेगा

(2372) हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी रज़ियल्लाहु अन्हो से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के पास एक शख़्स आया और उसने आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से गिरी पड़ी चीज़ों के विषय में पूछा। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : उसकी थैली और उसका बंद पहचान रखो। फिर एक वर्ष तक उसका ऐलान करते रहो। अगर उसका मालिक आ जाए तो ख़ैर, अन्यथा जिस तरह चाहो, काम में लाओ। उसने कहा : भूली--भटकी बकरी (के विषय में हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम का क्या इरशाद है?) आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया वह तुम्हारे लिए या तुम्हारे भाई के लिए है या किसी भेड़िए के लिए। उसने कहा : और भूला भटका ऊंट? आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : तुझे इससे क्या वास्ता! इसके साथ उसका मशकीज़ा भी है और उसका मोज़ा (अर्थात पांव) भी। पानी पी लेता है और दरख़्तों से खाता है, यहां तक कि उसका मालिक उस को पा लेता है।

(सही बुख़ारी, भाग 4 किताब अल् मसाका, प्रकाशन 2008 कादियान)

★ ★ ★

मुरदों से सहायता मांगने के तरीक़ को हम निहायत नफ़रत की निगाह से देखते हैं

अल्लाह तआला ने कहीं भी मुरदों के पास जाने की हिदायत नहीं फ़रमाई बल्कि كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ का हुक्म देकर ज़िंदों की सोहबत में रहने का हुक्म दिया

मैं सच्च सच्च कहता हूँ कि ईमान दुरुस्त नहीं होता जब तक इन्सान साहब-ए-ईमान की सोहबत में न रहे

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का उपदेश

सुहबत-ए-सालहीन का उद्देश्य

बात यह है कि मुरदों से सहायता मांगने के तरीक़ को हम निहायत नफ़रत की निगाह से देखते हैं। ये कमोज़ोर ईमान वाले लोगों का काम है कि मुर्दों की तरफ़ रुजू करते हैं और ज़िंदों से दूर भागते हैं। ख़ुदा तआला फ़रमाता है कि हज़रत-ए-यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में लोग उनकी नबुव्वत का इंकार करते रहे और जिस रोज़ इंतेक़ाल कर गए तो कहा कि आज नबुव्वत ख़त्म हो गई। अल्लाह तआला ने कहीं भी मर्दों के पास जाने की हिदायत नहीं फ़रमाई बल्कि كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ (तौबा : 119) का हुक्म देकर ज़िंदों की सोहबत में रहने का हुक्म दिया। यही वजह है कि हम अपने दोस्तों को बार बार यहां आने और रहने की ताकीद करते हैं और हम जो किसी दोस्त को यहां रहने के वास्ते कहते हैं तो अल्लाह तआला ख़ूब जानता है कि महिज़ उसकी हालत पर रहम करके हमदर्दी और ख़ैर ख़्वाही से कहते हैं। मैं सच्च सच्च कहता हूँ कि ईमान दुरुस्त नहीं होता जब तक इन्सान साहब-ए-ईमान की सोहबत में न रहे और यह इसलिए कि चूँकि तबीयतें मुख़्तलिफ़ होती हैं। एक ही वक़्त में हर किस्म की तबीयत के मुवाफ़िक़-ए-हाल तक़रीर नासेह के मुना से नहीं निकला करती। कोई वक़्त ऐसा आ जाता है कि उसकी समझ और फ़हम के मुताबिक़ उसके मज़ाक़ पर गुफ़्तगु हो जाती है जिससे उसको फ़ायदा पहुंच जाता है। और अगर आदमी बार-बार न आए और ज़्यादा दिनों तक न रहे तो मुम्किन है कि एक वक़्त ऐसी तक़रीर हो जो उसके स्वभाव के मुवाफ़िक़ नहीं है और इससे इसको बददिली पैदा हो और वह हुस्न-ए-ज़न की राह से दूर जापड़े और हलाक हो जावे।

उद्देश्य क़ुरआन-ए-करीम के मंशा के मुवाफ़िक़ तो ज़िंदों ही की सोहबत में रहना साबित होता है।

(मल्-फ़ूज़ात, भाग प्रथम, पृष्ठ 462 प्रकाशन 2018 कादियान)

★ ★ ★

सय्यदना हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हो सूरत बनीइसराईल आयत 35

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۠ وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔوْلًا

तफ़सीर में फ़रमाते हैं :

इस आयत में इस्लामी निज़ाम का एक ऐसा हुक्म वर्णन किया गया है जिसमें इस्लाम दूसरे मज़ाहिब से अलग और मुनफ़रद है

यतीमों से हुस्न-ए-सुलूक का हुक्म तो सब मज़ाहिब में मिलता है

लेकिन यह हुक्म कि उनके अम्वाल की हिफ़ाज़त करो और उनको बढ़ाने की कोशिश करो किसी और मज़हब में नहीं मिलता

फ़रमाता है कि अनाथों के माल के क़रीब भी न जाओ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ अर्थात केवल एक तरीक़ एक के माल पर तसर्रुफ़ करने का है कि इससे बेहतर से बेहतर नतीजा पैदा किया जाए। अर्थात केवल यही नहीं कि उनके माल को नाजायज़ तौर पर प्रयोग न करो बल्कि उनको इस तरह प्रयोग करो कि वह माल बढ़ें और यतीमों का फ़ायदा हो। इस आयत में इस्लामी निज़ाम का एक और ऐसा हुक्म वर्णन किया गया है जिसमें इस्लाम दूसरे मज़ाहिब से विशेष और अलग है। अनाथों से हुस्न-ए-सुलूक का हुक्म तो सब मज़ाहिब में मिलता है लेकिन यह हुक्म कि उनके अम्वाल की हिफ़ाज़त करो और उनको बढ़ाने की कोशिश करो किसी और मज़हब में नहीं मिलता। गोया इस आयत में एक आम कोर्ट आफ़ वार्डज़ मुक़र्रर किया गया है अर्थात नाबालिगों की जायदाद की हिफ़ाज़त करने वाला महिकमा। आजकल मग़रिबी हुकूमतों के अधीन इस हुक्म पर अमल हो रहा है परंतु इस ख़्याल की बुनियाद इस्लाम ही ने आज से तेराह सौ साल पहले क़ायम की है।

وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ अपने अह्द को पूरा करो। बज़ाहिर तो यह वाक्य अनाथों के वर्णन में बेजोड़ मालूम होता है क्योंकि अनाथों का अह्द से कोई ख़ास-ताल्लुक़ नज़र नहीं आता लेकिन हक़ीक़त में ऐसा नहीं क्योंकि (1) अह्द के माने ज़िम्मेदारी के भी होते हैं। इसलिए कहते हैं فُلَانٌ وَلِيُّ الْعَهْدِ हुकूमत की ज़िम्मा वारी का वली है। इन अर्थों की दृष्टि से इस जुमला के अर्थ होंगे कि अनाथों के मुताल्लिक़ अपनी ज़िम्मेदारी पूरा करो। जब तक उनके माल के इंतेज़ाम की ज़रूरत है इंतेज़ाम करो और जब उनका माल उनके सपुर्द करने

शेष पृष्ठ 12 पर

जमील अहमद नासिर प्रिंटर एवं पब्लिशर ने फ़ज़्ल-ए-उमर प्रिंटिंग प्रेस क़ादियान में छपवा कर दफ़्तर अख़बार बदर से प्रकाशित किया। प्रौपराइटर - निगरान बदर बोर्ड क़ादियान

ख़ुत्बः जुमअः

"तुम्हारी मानवजाति से ऐसी नेकी हो कि इस में दिखावा और बनावट हरगिज़ न हो" (हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम)

हक़ीक़ी मोमिन की यही निशानी है कि अपने ईमान को मज़बूत करने के लिए अल्लाह तआला के इर्शादात पर और नसाएह पर अमल करे

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस आयत-ए-करीमा की तफ़सीर ऐसे आरिफ़ाना रंग में वर्णन फ़रमाई है जिस से हक़ीक़ी रंग में ख़ुदा तआला से ताल्लुक़ का इर्फ़ान मिलता है जो एक मोमिन को ईमान और यक़ीन की नई मंज़िलों तक ले जाता है

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को मानने वालों का फ़र्ज़ है, यह ज़िम्मेदारी है कि अल्लाह तआला के हुक्मों को सामने रखते हुए अपनी भी इस्लाह करें और दुनिया की इस्लाह की भी कोशिश करें

"ऐसी पाक तालीम न हमने तौरेत में देखी है और न इंजील में। पृष्ठ - पृष्ठ करके हमने पढ़ा है परंतु ऐसी पाक और मुकम्मल तालीम का नाम-ओ--निशान नहीं।" (हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम)

हज़रत-ए-अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इर्शादात की रोशनी में सूरत अल्नहल की आयत 91 में वर्णित नेकियों अर्थात अदल, एहसान और اِیۡتَآءِ ذِی الۡقُرۡبٰی से संबंधित ईमान बढ़ाने वाला वर्णन

पाकिस्तान के अहमदियों के लिए दुआ की पुनः तहरीक

ख़ुत्बः जुमअः सय्यदना अमीरुल मो'मिनीन हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद ख़लीफ़तुल मसीह पंचम अय्यदहुल्लाहो तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़, दिनांक 05 मई 2023 ई. स्थान - मस्जिद मुबारक इस्लामाबाद सिर्रे (यू.के)

शेष भाग

फिर आप अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं कि "उद्देश्य आयत اِنَّ اللّٰہَ یَاۡمُرُ بِالۡعَدۡلِ وَ الۡاِحۡسَانِ وَ اِیۡتَآءِ ذِی الۡقُرۡبٰی (अल् नहल : 91) की यह तफ़सीर है और इस में ख़ुदा तआला ने तीनों मर्तबे इन्सानी मार्फ़त के वर्णन कर दिए और तीसरे मर्तबा को मुहब्बत ज़ाती का मर्तबा क़रार दिया और यह वह मर्तबा है जिसमें समस्त अग़राज़ नफ़सानी जल जाते हैं और दिल ऐसा मुहब्बत से भर जाता है जैसा कि एक शीशा इतर से भरा हुआ होता है।"यानी इतर की शीशी हो। "इसी मर्तबा की तरफ़ इशारा इस आयत में है وَ مِنَ النَّاسِ مَنۡ یَّشۡرِیۡ نَفۡسَہُ ابۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِ اللّٰہِ وَ اللّٰہُ رَءُوۡفٌۢ بِالۡعِبَادِ (अल् बकर: : 208) अर्थात कुछ मोमिन लोगों में से वह भी हैं कि अपनी जानें अल्लाह की प्रसन्नता के बदले में बेच देते हैं और ख़ुदा ऐसों ही पर मेहरबान है। और फिर फ़रमाया بَلٰی مَنۡ اَسۡلَمَ وَجۡہَہٗ لِلّٰہِ وَ ہُوَ مُحۡسِنٌ فَلَہٗۤ اَجۡرُہٗ عِنۡدَ رَبِّہٖ ۪ وَ لَا خَوۡفٌ عَلَیۡہِمۡ وَ لَا ہُمۡ یَحۡزَنُوۡنَ (अल् बकर: 113) अर्थात वह लोग निजात याफ्ताह हैं जो ख़ुदा को अपना वजूद हवाला कर दें और उस की नेअमतों के तसव्वुर से इस तौर से उस की इबादत करें कि गोया उस को देख रहे हैं अतः ऐसे लोग ख़ुदा के पास से अज्र पाते हैं और न उनको कुछ भय है और न वे कुछ ग़म करते हैं अर्थात इनका मुद्दा ख़ुदा और ख़ुदा की मुहब्बत हो जाती है और ख़ुदा के पास की नेअमतें उनका अज्र होता है।" ख़ुदा की नेअमतें उनका अज्र होता है "और फिर एक जगह फ़रमाया : یُطۡعِمُوۡنَ الطَّعَامَ عَلٰی حُبِّہٖ مِسۡکِیۡنًا وَّ یَتِیۡمًا وَّ اَسِیۡرًا ۔ اِنَّمَا نُطۡعِمُکُمۡ لِوَجۡہِ اللّٰہِ لَا نُرِیۡدُ مِنۡکُمۡ جَزَآءً وَّ لَا شُکُوۡرًا (अल् दहर : 9-10) अर्थात मोमिन वे हैं जो ख़ुदा की मुहब्बत से मिस्कीनों और यतीमों और क़ैदियों को रोटी खिलाते हैं और कहते हैं कि इस रोटी खिलाने से तुम से कोई बदला और शुक्रगुज़ारी नहीं चाहते और न हमारी कुछ ग़रज़ है। इन समस्त ख़िदमात से सिर्फ ख़ुदा का चेहरा हमारा मतलब है।" इस सारी ख़िदमत का मतलब केवल यह है कि अल्लाह तआला हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह तआला हमें मज़ीद नज़र आ जाए।" अब सोचना चाहिए कि इन समस्त आयात से किस क़दर साफ़ तौर पर मालूम होता है कि क़ुरआन शरीफ़ ने आला वर्ग इबादत-ए-इलाही और आमाल-ए-सालेहा का यही रखा है कि मुहब्बत-ए-इलाही और ख़ुदा को प्रसन्न करने की तलब सच्चे दिल से ज़हूर आवे।"

(नूरुल क़ुरआन नम्बर : 2 रुहानी ख़ज़ायन भाग 9 पृष्ठ 437 से 441)

और अल्लाह तआला की सच्ची मुहब्बत हासिल करने के लिए जैसा कि इन आयात में भी वर्णन है इस की मख़लूक़ से भी ज़ाती हमदर्दी और ताल्लुक़ क़ायम करना है। उनके हक़ एक मोमिन बंदा, ख़ुदा तआला से मुहब्बत करने वाला बंदा सही अदा कर सकता है और करता है।

फिर आप अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं "ख़ुदा तुम से क्या चाहता है। "कुश्ती--ए-नूह में आप अलैहिस्सलाम ने नसीहत करते हुए फ़रमाया "बस यही कि तुम समस्त नौ इन्सान से इंसाफ के साथ पेश आया करो। फिर इस से बढ़कर यह है कि उनसे भी नेकी करो जिन्होंने तुमसे कोई नेकी नहीं की। फिर इस से बढ़कर यह है कि तुम मख़्लूक़-ए-ख़ुदा से ऐसी हमदर्दी के साथ पेश आओ कि गोया तुम उनके हक़ीक़ी रिश्तेदार हो जैसा कि माँ अपने बच्चों से पेश आती हैं क्योंकि एहसान में एक ख़ुदनुमाई का माद्दा भी छुपा होता है और एहसान करने वाला कभी अपने एहसान को जतला भी देता है लेकिन वह जो माँ की तरह तिब्बी जोश से नेकी करता है वह कभी ख़ुद-नुमाई नहीं कर सकता। अतः आख़िरी दर्जा नेकियों का तिब्बी जोश है जो माँ की तरह हो और यह आयत न सिर्फ मख़लूक़ के मुताल्लिक़ है बल्कि ख़ुदा के मुताल्लिक़ भी है। ख़ुदा से इंसाफ यह है कि उस की नेअमतों को याद कर के उसकी फ़रमांबर्दारी करना और ख़ुदा से एहसान यह है कि उसकी ज़ात पर ऐसा विश्वास कर लेना कि गोया उस को देख रहा है और ख़ुदा اِیۡتَآءِ ذِی الۡقُرۡبٰی ہے है कि उसकी इबादत न तो बहिश्त के लालच से हो और ना दोज़ख़ के भय से। बल्कि अगर फ़र्ज़ किया जाए कि न बहिश्त है और न दोज़ख़ है तब भी जोश-ए-मोहब्बत और इताअत में फ़र्क़ न आवे।"

(कुश्ती-ए-नूह, रुहानी ख़ज़ायन भाग 19 पृष्ठ 30-31)

यह मुहब्बत ज़ाती है ख़ुदा तआला से। पहले जो तफ़सील वर्णन हुई है उसका यह ख़ुलासा है जो कुश्ती-ए-नूह में आप ने हमें वर्णन फ़रमाया फिर हुक़ूकुल ईबाद की तरफ़ तवज्जा दिलाते हुए आप मज़ीद फ़रमाते हैं कि "अल्लाह तआला हुक्म करता है कि तुम इंसाफ करो और इंसाफ से बढ़कर यह है कि बावजूद रियाइत इंसाफ के एहसान करो और एहसान से बढ़ कर यह है कि तुम ऐसे तौर से लोगों से अहसान करो कि जैसे कि गोया वह तुम्हारे प्यारे और करीबी रिश्तेदारों से है। अब सोचना चाहिए कि मुरातिब तीन ही हैं। प्रथम इन्सान इंसाफ करता है अर्थात हक़ के मुक़ाबिल हक़ की दरख़ास्त करता है। फिर अगर इस से बढ़े तो मर्तबा एहसान है। अगर इस से बढ़े तो एहसान को भी नज़रअं-दाज कर देता है और ऐसी मुहब्बत से लोगों की हमदर्दी करता है जैसे माँ अपने

बच्चे की हमदर्दी करती है अर्थात एक तिब्बी जोश से न कि एहसान के इरादा से।"

(जंग-ए-मुक़द्दस, रूहानी ख़ज़ायन भाग 6 पृष्ठ 127)

यह हुक़ूकुल ईबाद का ख़ुलासा बन गया।

फिर यह तो पहले कुछ जगहों पर आप ने लोगों को, ग़ैर मज़ाहिब वालों को बताया कि इस्लाम की खूबियां क्या हैं। फिर जमाअत को जो नसीहत की व्याज भी अलग अलग अवसरों पर की। एक अवसर पर नसीहत करते हुए आप अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि "मख़लूक़-ए-ख़ुदा से ऐसे पेश आओ कि गोया तुम उनके हक़ीक़ी रिश्तेदार हो। यह दर्जा सबसे बढ़कर है क्योंकि एहसान में एक माद्दा ख़ुद-नुमाई का होता है और अगर कोई एहसानफ़रामोशी करता हो तो मुहसिन झट कह उठता है कि मैंने तेरे साथ अमुक एहसान किए लेकिन तिब्बी मुहब्बत जो माँ को बच्चे के साथ होती है इस में कोई ख़ुदनुमाई नहीं होती।" एहसान अगर किया है किसी पर तो कुछ दफ़ा जता भी देते हो लेकिन म ाँने कभी बच्चे को नहीं जताया।" बल्कि अगर एक बादशाह माँ को यह हुक्म देवे कि तू इस बच्चे को अगर मार भी डाले तो तुझसे कोई बाज़पुर्स नहीं होगी तो वह कभी यह बात सुनना गवारा न करेगी और उस बादशाह को गाली देगी हालाँकि उसे इलम भी हो कि इस के जवान होने तक मैं ने मर जाना है परंतु फिर भी मुहब्बत ज़ाती की वजह से वह बच्चे की परवरिश को तर्क नहीं करेगी। अक्सर दफ़ा माँ बाप बूढ़े होते हैं और उनको औलाद होती है तो उनकी कोई उम्मीद बज़ाहिर औलाद से फ़ायदा उठाने की नहीं होती लेकिन बावजूद उसके फिर भी वह उस से मुहब्बत और परवरिश करते हैं। यह एक तिब्बी अमर होता है जो मुहब्बत इस दर्जा तक पहुंच जावे उस का इशारा اِیۡتَآءِ ذِی الۡقُرۡبٰی में किया गया है कि इस किस्म की मुहब्बत ख़ुदा तआला के साथ होनी चाहिए न मुरातिब की ख़ाहिश न ज़िल्लत का डर।"

(मल्फ़ूज़ात भाग 6 पृष्ठ 181-182 ऐडीशन 1984 ई.)

फिर आप अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि "अदना दर्जा इंसाफ का होता है जितना ले उतना दे।" अदल होता है जितना ले उतना दे अर्थात यह इन्साफ़ का कम से कम मयार है।" इस से तरक़्क़ी करे तो एहसान का दर्जा है जितना ले वह भी दे और इस से बढ़कर भी दे।' यह एहसान है कि जितना लिया है वह भी वापस करो और बढ़के उसको दो। "फिर इस से बढ़ कर اِیۡتَآءِ ذِی الۡقُرۡبٰی का दर्जा है अर्थात दूसरों के साथ इस तरह नेकी करे जिस तरह माँ बच्चे के साथ बग़ैर नीयत किसी मुआवज़ा के तिब्बी तौर पर मुहब्बत करती है। क़ुरआन शरीफ़ से मालूम होता है कि अल्लाह से तरक़्क़ी करके ऐसी मुहब्बत को हासिल कर सकते हैं' अगर चाहो तो तरक़्क़ी करके अल्लाह तआला से भी ऐसी मुहब्बत हासिल हो जाती है। "इन्सान का ज़र्फ़ छोटा नहीं। ख़ुदा तआला के फ़ज़ल से यह बातें हासिल हो जाती हैं बल्कि यह वुसअत अख़लाक़ के लवाज़मात में से है।" फ़रमाया "मैं तो क़ायल हूँ कि अल्लाह वाले यहां तक तरक़्क़ी करते हैं कि मादरी मुहब्बत के अंदाज़ा से भी बढ़कर इन्सान के साथ मुहब्बत करते हैं।"

(मल्फ़ूज़ात भाग 7 पृष्ठ 375 ऐडीशन 1984 ई.)

हुक़ूकुल ईबाद बजा लाने के लिए माओं से भी अधिक इन्सानों से मुहब्बत हो जाती है

फिर आप अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं कि "अदल की हालत यह है जो मुत्तक़ी की हालत नफ़्स-ए-अम्मारा की सूरत में होती है। इस हालत की इस्लाह के लिए इंसाफ का हुक्म है।" बुराईयों से बाहर निकलना, ख़्यालात से बाहर निकलना यह भी इंसाफ की हालत है।" इस में नफ़्स की मुख़ालेफ़त करनी पड़ती है।" गुनाहों से बचने के लिए नफ़्स की मुख़ालिफ़त करना यह भी इंसाफ की एक किस्म है। "मसलन किसी का क़र्ज़ा अदा करना है लेकिन नफ़्स इस में यही ख़ाहिश करता है कि किसी तरह से इस को दबालों। और इत्तिफ़ाक़ से उसकी मीयाद भी गुज़र जावे। इस सूरत में नफ़्स और भी दिलेर और बेबाक होगा कि अब तो क़ानूनी तौर पर भी कोई पकड़ नहीं हो सकती। परंतु यह ठीक नहीं। इंसाफ का तक़ाज़ा यही है कि इस का दीन वाजिब अदा किया जाए।" जो वाजिब क़र्ज़ है वह अदा किया जाए "और किसी हीले और उज़्र से इस को दबाया न जाए।" कुछ लोग कर्ज़े दबाने और वक़्त पर अदा न करने बल्कि कई दफ़ा बिल्कुल इस बात पर भी, इस हालत में भी हो जाते हैं कि मुकम्मल तौर पर इंकारी हो जाते हैं अगर कोई सबूत वाज़ेह तौर पर न हो। बहरहाल उनको जानना चाहिए कि अल्लाह तआला उनका प्रत्येक अमल देख रहा है।

और दूसरे साथ साथ यह भी कह दूं कि लेन-देन के झगड़े इसलिए शुरू होते हैं कि कई दफ़ा लोग ग़ैर ज़रूरी एतबार और एतेमाद दूसरों पर करते हैं जबकि अल्लाह तआला का हुक्म है कि लेन-देन का मुमाला जब भी होतो उस वक़्त लिख लिया करो। तहरीर में ले आया करो।

यह नहीं कि मेरा वाज़िह रिश्तेदार है, मेरा बड़ा क़रीबी दोस्त है तो मैंने लिखा नहीं। इसी से झगड़े पैदा होते हैं इसी से फिर नफ़्स-ए-अम्मारा इन्सान को ग़लत कामों में उभारने की कोशिश करता है। बहरहाल एक मोमिन का काम यह है कि उनसे बच्चे और इंसाफ से काम ले।

फ़रमाया "मुझे अफ़सोस से कहना पड़ता है कि कुछ लोग इन उमूर की पर्वा नहीं करते और हमारी जमात में भी ऐसे लोग हैं जो बहुत कम तवज्जा करते हैं अपने कर्ज़ों के अदा करने में। यह इंसाफ के ख़िलाफ़ है।

आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम तो ऐसे लोगों की नमाज़ न पढ़ते थे। अतः तुम में से प्रत्येक इस बात को ख़ूब याद रखे कि कर्ज़ों के अदा करने में सुस्ती नहीं करनी चाहिए और प्रत्येक किस्म की ख़ियानत और बेईमानी से दूर भागना चाहिए क्योंकि यह अमर इलाही के ख़िलाफ़ है जो उसने इस आयत में दिया है।"

फिर आप अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं :"उस के बाद एहसान का दर्जा है। जो शख़्स इंसाफ की रियाइत करता है और इस की हदबंदी को नहीं तोड़ता अल्लाह तआला उसे तौफ़ीक़ और क़ुव्वत दे देता है और वह नेकी में और तरक़्क़ी करता है। यहां तक कि इंसाफ ही नहीं करता बल्कि थोड़ी सी नेकी के बदले बहुत बड़ी नेकी करता है लेकिन एहसान की हालत में भी एक कमज़ोरी अभी बाक़ी होती है और वह यह है कि किसी न किसी वक़्त इस नेकी को जता भी देता है। उदा-हरणतः एक शख़्स दस बरस तक किसी को रोटी खिलाता है और वह कभी एक बात उस की नहीं मानता तो उसे कह देता है कि दस बरस का हमारे टुकड़ों का ग़ुलाम है और इस तरह पर इस नेकी को बे-असर कर देता है। दरअसल एहसान वाले के अंदर भी एक किस्म की मख़फ़ी दिखावा होता है। छिपा हुआ दिखावा होता है जो एहसान करता है। "लेकिन तीसरा मर्तबा प्रत्येक किस्म की आलाईश और आलूदगी से पाक है और اِیۡتَآءِ ذِی الۡقُرۡبٰی का दर्जा है।"

फ़रमाया : اِیۡتَآءِ ذِی الۡقُرۡبٰی दर्जा तिब्बी हालत का दर्जा है अर्थात जिस स्थान पर इन्सान से नेकियों का सदूर ऐसे तौर पर हो जैसे तिब्बी तक़ाज़ा होता है। इस की उदाहरण ऐसी है जैसे माँ अपने बच्चे को दूध देती है और इस की परवरिश करती है। कभी उसको ख़्याल भी नहीं आता कि बड़ा हो कर कमाई करेगा और उसकी ख़िदमत करेगा यहां तक कि अगर कोई बादशाह उसे यह हुक्म दे कि तू अगर अपने बच्चा को दूध न देगी और इस से वह मर जावे तो भी तुझे पकड़ नहीं होगी। इस हुक्म पर भी इस को दूध देना वह नहीं छोड़ सकती बल्कि ऐसे बादशाह को दो-चार गालियां ही सुना देगी। इस लिए कि वह परवरिश उसका एक तिब्बी तक़ाज़ा है। वह किसी उम्मीद या भय पर मबनी नहीं। इसी तरह पर जब इन्सान नेकी में तरक़्क़ी करते करते इस मुक़ाम पर पहुंचता है कि वह नेकियां इस से ऐसे तौर पर सादर होती हैं गोया एक तिब्बी तक़ाज़ा है तो यही वह हालत है जो नफ़्स-ए-मुतमइन्ना कहलाती है।"

(मल्फ़ूज़ात भाग 8 पृष्ठ 312-314 ऐडीशन 1984 ई.)

फिर फ़रमाया : "माँ ख़ुद अपनी जान पर दुख बर्दाश्त करती है परंतु बच्चे को आराम पहुंचाने की कोशिश करती है। ख़ुद गीली जगह पर लेटती है और उसे ख़ुशक हिस्सा बिस्तर पर जगह देती है। बच्चा बीमार हो जाए तो रातों को जागती और तरह तरह की तकालीफ़ बर्दाश्त करती है। अब बताओ कि माँ जो कुछ अपने बच्चे के वास्ते करती है इस में दिखावा और बनावट का कोई भी शोबा पाया जाता है?" यह तो ख़ालिस मुहब्बत की वजह से है और यही मुहब्बत हक़्क़कुउल्लाह और हक़्कु-उल-इबाद अदा करने के लिए एक मोमिन में होनी चाहिए।

फ़रमाया "अतः अल्लाह तआला फ़रमाता है कि एहसान के दर्जा से भी आगे बढ़ो और اِیۡتَآءِ ذِی الۡقُرۡبٰی के मर्तबा तक तरक़्क़ी करो और मानवजाति से बग़ैर किसी लाभ नफ़ा और ख़िदमत के ख़्याल के तिब्बी और फ़ितरी जोश से

नेकी करो।

तुम्हारी मानवजाति से ऐसी नेकी हो कि इस में दिखावा और बनावट हरगिज़ न हो।

एक दूसरे अवसर पर यूं फ़रमाया है। "अल्लाह तआला ने एक दूसरे अवसर पर यूं फ़रमाया कि "' لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا (अल् दहर : 10) अर्थात ख़ुदा रसीदा और आला प्रगति पर पहुंचे हुए इन्सान का यह क़ायदा है कहा उसकी नेकी विशेषता अल्लाह की होती है और इस के दिल में यह ख़्याल भी नहीं होता कि इस के वास्ते दुआ की जाए या उस का शुक्रिया अदा किया जाए। नेकी महिज़ इस जोश के तक़ाज़ा से करता है जो हमदर्दी बनीनौ इन्सान के वास्ते उस के दिल में रखा गया है।

ऐसी पाक तालीम न हमने तौरेत में देखी है और न इंजील में। पृष्ठ पृष्ठ करके हमने पढ़ा है परंतु ऐसी पाक और मुकम्मल तालीम का नाम-ओ-निशान नहीं।"

(मल्फ़ूज़ात भाग 10 पृष्ठ 416-417 ऐडीशन 1984 ई.)

फिर आप अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं : "अल्लाह तआला का यह हुक्म है कि नेकी के मुक़ाबिल पर नेकी करो और अगर इंसाफ से बढ़कर एहसान का अवसर और महल हो तो वहां एहसान करो और अगर एहसान से बढ़कर क़रीबियों की तरह तिब्बी जोश से नेकी करने का महल हो तो वहां तिब्बी हमदर्दी से नेकी करो और इस से ख़ुदा तआला मना फ़रमाता है कि तुम हदूद एतिदाल से आगे गुज़र जाओ।" एतिदाल को बहरहाल क़ायम रखना है। "या एहसान के बारे में मुन-किराना हालत तुम से सादर हो जिससे अक़ल इंकार करे। अर्थात यह कि तुम बेमहल एहसान करो या उचित एहसान करने से दरेग़ करो।" अकली तक़ाज़ा और इन्साफ़ का तक़ाज़ा भी सामने रखना है कि एहसान बेमहल भी नहीं होना चाहिए और जहां ज़रूरत है एहसान करने की वहां से एहसान करने का इंकार करना यह भी नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि अक़ल का तक़ाज़ा क्या है और फ़ायदा किस में है "या यह कि तुम अवसर पर اِيْتَآءِ ذِى الْقُرْبٰى में कुछ कमी इख़तेयार करो या हद से अधिक रहम की बारिश करो। इस आयत-ए-करीमा में ईसाल ख़ैर के तीन दर्जों का वर्णन है।"

अतः जहां यह नेकियां करने का हुक्म है वहां अक़ल और एतेदाल और नेक उद्देश्य के हुसूल की भी नसीहत की गई है और हुक्म यह है कि तुम्हारी ये सारी नेकियां इसलिए होनी चाहिऐं कि फ़ायदा पहुंचाएं न कि मुआशरे में बिगाड़ पैदा कर दें।

माँ बावजूद बच्चे से बहुत प्यार करने के कभी उस के मुतालिबे पर उसके हाथ में आग का अंगारा नहीं रखती। अतः असल उद्देश्य भलाई और ख़ैर ख़्वाही है जिसके लिए ये तीनों नेकियां बजा लानी हैं।

आप अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं : "प्रथम यह दर्जा कि नेकी के मुक़ाबिल पर नेकी की जाए यह तो कम दर्जा है और अदना दर्जा का भला मानस आदमी भी यह ख़लक़ हासिल कर सकता है कि अपने नेकी करने वालों के साथ नेकी करता रहे।" कोई भी शरीफ़ आदमी यह नेकी करता है। यह बुनियादी चीज़ है। ये कोई ऐसी आला नेकी नहीं है ये तो शराफ़त है। "दूसरा दर्जा इस से मुश्किल है और वह यह कि आरंभ में आप ही नेकी करना और बग़ैर किसी के हक़ के एहसान के तौर पर इस को फ़ायदा पहुंचाना और यह ख़लक़ औसत दर्जा है।" नेकी करना और बग़ैर किसी के हक़ के इस पर एहसान करना उस को फ़ायदा पहुंचाना। यह ख़लक़ भी औसत दर्जा का है दरमयाने दर्जा का है। "अक्सर लोग ग़रीबों पर एहसान करते हैं और एहसान में यह एक मख़फ़ी ऐब है कि एहसान करने वाला ख़्याल करता है कि मैंने एहसान किया है और कम से कम वह अपने एहसान के इव्ज़ में शुक्रिया या दुआ चाहता है और अगर कोई मम-नून-ए-मिन्नत उसका मुख़ालिफ़ हो जाए तो इस का नाम एहसान फ़रामोश रखता है।" जिस पर एहसान किया है अगर वह मुख़ालिफ़ हो जाए किसी वजह से तो फिर उस को एहसान फ़रामोश कहता है। "कई वक़्त अपने एहसान की वजह से इस पर तकक्त से बढ़ कर बोझ डाल देता है।" इसलिए कि मैंने तुम पर एहसान किया और इतना अरसा तुम्हारे काम आया या मेरे से तुम फ़ायदा उठा रहे हो तो एहसान करने वाला उस की ताक़त से बढ़कर उस आदमी पर बोझ डाल देता है "और अपना एहसान उसको याद दिलाता है जैसा कि एहसान करने वालों को ख़ुदा तआला मुतनब्बा करने के लिए फ़रमाता है। لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى (अल् बकर: : 265) अर्थात हे एहसान करने वालो! अपने सदक़ात को जिनकी सिदक़ पर आधार चाहिए। एहसान याद दिलाने और दुख देने के साथ बर्बाद मत करो।' अल्लाह तआला ने ऐसे लोगों को वार्निंग (warning) दी है कि ऐसे एहसान तुम्हारे लिए कोई फ़ाइदामंद नहीं होंगे। सदक़ात अगर तुम करते हो तो इस की बुनियाद सिदक़ पर है, सच्चाई पर है। अगर एहसान दिलाना है तो फिर तुम्हारी सब नेकी बर्बाद हो गई। "यानी सदक़ा का लफ़्ज़ सिदक़ से मुश्तक़ है। अतः अगर दिल में सिदक़ और इख़लास न रहे तो वह सदक़ा सदक़ा नहीं रहता बल्कि एक रयाकारी की हरकत हो जाती है। उद्देश्य एहसान करने वाले में यह एक ख़ामी होती है कि कभी ग़ुस्सा में आकर अपना एहसान भी याद दिला देता है उसी वजह से ख़ुदा तआला ने एहसान करने वालों को डराया।

तीसरा दर्जा ईसाल ख़ैर का ख़ुदा तआला ने यह फ़रमाया है कि बिल्कुल एहसान का ख़्याल न हो और न शुक्रगुज़ारी पर नज़र हो बल्कि एक ऐसी हम-दर्दी के जोश से नेकी सादर हो जैसा कि एक निहायत क़रीबी उदाहरणतः वालिदा महिज़ हमदर्दी के जोश से अपने बेटे से नेकी करती है। यह वह आख़िरी दर्जा ख़ैर पहुंचाने का है जिससे आगे तरक़्क़ी करना मुम्किन नहीं लेकिन ख़ुदा तआला ने इन समस्त ख़ैर पहुंचाने वालों की किस्मों को महल और अवसर से वाबस्ता कर दिया है और आयत मौसूफ़ा में साफ़ फ़र्मा दिया है कि अगर यह नेकियां अपने अपने महल पर मुस्तामल नहीं होंगी तो फिर यह बदीयाँ हो जाएँगी।' यह भी वार्निंग है कि नेकियां अगर अपने महल पर नहीं हुईं,सही तरह नहीं हो रहीं, दुनिया में फ़साद पैदा कर रही हैं तो वह नेकियां नहीं होंगी, बदी बन जाएगी। "बजाय इंसाफ फ़ह्शा बन जाएगा अगला जो हिस्सा है इस का कुछ ज़िक्र भी आ जाता है इस में बुराईयों से बचने का कि इंसाफ फिर फ़ह्शा बन जाता है। "यानी हद से इतना तजावुज़ करना कि नापाक सूरत हो जाए। और ऐसा ही बजाय एहसान के मुनकिर की सूरत निकल आएगी।" यह एहसान नहीं होगा यह इन्सान फिर मुनकिर बन जाएगा। "यानी वह सूरत जिससे अक़ल और कांशनस इंकार करता है और बजाए اِيْتَآءِ ذِى الْقُرْبٰى बन जाएगा। अर्थात वह बेमहल हमदर्दी का जोश एक बुरी सूरत पैदा करेगा। असल में बग़ी इस बारिश को कहते हैं जो हद से अधिक बरस जाए और खेतों को तबाह कर दे और हक़ वाजिब में कमी रखने को बग़ी कहते हैं और या हक़ वाजिब से अफ़ज़ूनी करना भी बग़ी है।" हक़ वाजिब से कमी हो जाए तो इस को भी बग़ी कहते हैं और हक़ वाजिब से अधिक करो तो भी बग़ी का लफ़्ज़ इस्तमाल होगा। "ग़रज़ इन तीनों में से जो महल पर सादर नहीं होगा वही ख़राब सीरत हो जाएगी। इसी लिए इन तीनों के साथ अवसर और महल की शर्त लगा दी है। इस जगह याद रहे कि मुजर्रिद इंसाफ या एहसान या हमदर्दी ज़ील क़ुरबा को ख़लक़ नहीं कह सकते बल्कि इन्सान में यह सब तिब्बी हालतें और तिब्बी क़ुव्वतें हैं कि जो बच्चों में भी वजूद-ए-अक़ल से पहले पाई जाती हैं परंतु ख़लक़ के लिए अक़ल शर्त है और नीज़ यह शर्त है कि प्रत्येक तिब्बी क़ुव्वत महल और मौक़ा पर प्रयोग हो।

और फिर एहसान के बारे में और भी ज़रूरी हिदायतें क़ुरआन शरीफ़ में हैं और सब अलिफ़ लाम के साथ जो ख़ास करने के लिए आता है इस्तिमाल फ़र्मा कर अवसर और महल की रियाइत की तरफ़ इशारा फ़रमाया है।" (इस्लामी उसूल की फ़िलोसफ़ी, रूहानी ख़ज़ायन भाग 10 पृष्ठ 353-355)अर्थात ये सारे ख़लक़ जो हैं उनको खासतौर पर निर्धारित किया गया है कि ये ये ख़लक़ हैं इन इन चीज़ों के लिए

अतः मुख़्तलिफ़ रंग में मुख़्तलिफ़ मिसालों से उन नेकियों के बजा लाने की आप ने हमें तलक़ीन फ़रमाई है। इस हवाले से, नेकी करने के हवाले से, एहसान करने के हवाले से अपना एक वाक़िया भी वर्णन फ़रमाते हैं। फ़रमाते हैं कि "एहसान एक निहायत उम्दा चीज़ है। इस से इन्सान अपने बड़े बड़े मुख़ालिफ़ों को ज़ेर कर लेता है इसलिए स्यालकोट में एक शख़्स था जो कि समस्त लोगों से लड़ाई रखता था और कोई ऐसा आदमी नहीं मिलता था जिससे उस की सुलह हो। यहां तक कि इस के भाई और करीबी रिश्तेदार मित्र भी उस से तंग आचुके थे। इस से मैंने कुछ दफ़ा मामूली सा सुलूक किया और वह उस के बदला में

कभी हमसे बुराई से पेश नहीं आता बल्कि जब मिलता तो बड़े अदब से गुफ़्तगु करता। इसी तरह एक अरब हमारे हाँ आया और वह वहाबियों का सख़्त मुख़ालिफ़ था यहां तक कि जब उसके सामने वहाबियों का ज़िक्र भी किया जाता तो गालियों पर उतर आता। उसने यहां आकर भी सख़्त गालियां देनी शुरू कीं और वहाबियों को बुरा-भला कहने लगा। हमने उसकी कुछ पर्वा न करके उस की ख़िदमत ख़ूब की और अच्छी तरह से उसकी दावत की और एक दिन जबकि वह ग़ुस्सा में भरा हुआ वहाबियों को ख़ूब गालियां दे रहा था किसी शख़्स ने उस को कहा कि जिसके घर तुम मेहमान ठहरे हो वह भी तो है।" अर्थात हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तरफ़ इशारा फ़रमाया। "इस पर वह ख़ामोश हो गया और उस शख़्स का।' हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं कि जिसने यह कहा था कि यह वहाबी है उस शख़्स का "मुझको वहाबी कहना ग़लत न था क्योंकि क़ुरआन शरीफ़ के बाद सही अहादीस पर अमल करना भी ज़रूरी समझता हूँ। ख़ैर वह शख़्स चंद दिन के बाद चला गया। इसके बाद एक दफ़ा लाहौर में मुझ को फिर मिला। अगरचे वह वहाबियों की सूरत देखने का भी रवादार न था परंतु चूँकि उसकी तवाज़ो अच्छी तरह से की थी इस लिए उसका वह समस्त जोश-ओ-ख़रोश दब गया और वह बड़ी मेहरबानी और प्यार से मुझको मिला। इसलिए बड़े इसरार के साथ मुझको साथ ले गया और एक छोटी सी मस्जिद में जिसका वह इमाम निर्धारित हुआ था मुझको बिठलाया और ख़ुद नौकरों की तरह पंखा करने लगा और बहुत ख़ुशामद करने लगा कि कुछ चाय इत्यादि पी कर जाए। अतः देखो कि एहसान किस क़दर दलों को मुसख़्ख़र कर लेता है।"

(मल्फ़ूज़ात भाग 9 पृष्ठ 302 ऐडीशन 1984 ई.)

फिर आप अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं : "अख़लाक़ दो किस्म के होते हैं एक तो वे हैं जो आजकल के नौ तालीम-ए-याफ़ता पेश करते हैं कि मुलाक़ात इत्यादि में ज़बान से चापलूसी और हस्तक्षेप से पेश आते हैं।' चापलूसी करनी है जी, जी हुज़ूरी करली "और दिलों में द्वेष और छल भरा हुआ होता है। ये अख़लाक़ क़ुरआन शरीफ़ के ख़िलाफ़ हैं। दूसरी किस्म अख़लाक़ की यह है कि सच्ची हमदर्दी करे। दिल में द्वेष न हो और चापलूसी और रुकावट उत्पन्न करना इत्यादि से काम न ले जैसे ख़ुदा तआला फ़रमाता है। اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى (अल्नहल: 91) तो यह पूर्ण तरीक़ है और प्रत्येक कामिल तरीक़ और हिदायत ख़ुदा के कलाम में मौजूद है। जो इस से पीछे हटते हैं वे और जगह हिदायत नहीं पा सकते। अच्छी तालीम अपनी असर अंदाज़ी के लिए दिल की पाकीज़गी चाहती है। जो लोग इस से दूर हैं अगर अमीक़ नज़र से उनको देखोगे तो उनमें ज़रूर गंद नज़र आएगा। ज़िंदगी का एतबार नहीं है। नमाज़, सिदक़-ओ-सफ़ा में तरक़्क़ी करो।

(मल्फ़ूज़ात भाग 6 पृष्ठ 200)

आप ने हमें नसीहत फ़रमाई कि नमाज़ और सिदक़-ओ-सफ़ा में तरक़्क़ी करो। इबादतों में और सच्चाई में और पाकीज़गी में तरक़्क़ी करो फिर आप अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं।

मैं तुम्हें बार-बार यही नसीहत करता हूँ कि तुम हरगिज़ हरगिज़ अपनी हमदर्दी के दायरे को महिदूद न करो और हमदर्दी के लिए इस तालीम की पैरवी करो जो अल्लाह तआला ने दी है।

अर्थात اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى (अल् नहल : 91) अर्थात अव्वल नेकी करने में तुम इंसाफ को मलहूज़ रखो। जो शख़्स तुमसे नेकी करे तुम भी इस के साथ नेकी करो और फिर दूसरा दर्जा यह है कि तुम इस से भी बढ़कर उस से सुलूक करो। यह एहसान है। एहसान का दर्जा अगरचे इंसाफ से बढ़ा हुआ है और यह बड़ी भारी नेकी है लेकिन कभी न कभी मुम्किन है कि एहसान वाला अपना एहसान जतला दे परंतु इन सबसे बढ़कर एक दर्जा है कि इन्सान ऐसे तौर पर नेकी करे कि जो मुहब्बत ज़ाती के रंग में हो। जिसमें एहसान नुमाई का भी कोई हिस्सा नहीं होता जैसे माँ अपने बच्चे की परवरिश करती है वह इस परवरिश में किसी अज्र और सिला की ख़्वास्तगार नहीं होती बल्कि एक तिब्बी जोश होता है जो बच्चे के लिए अपने सारे सुख और आराम क़ुर्बान कर देती है। फ़रमाया अतः अगर बादशाह भी उस को कहे कि तुम उसको दूध न पिलाओं तो वह बादशाह को बुरा-भला कहेगी। फ़रमाया कि अतः इस तरीक़ पर नेकी हो कि उसे तिब्बी मर्तबा तक पहुंचाया जावे क्योंकि जब कोई शैय तरक़्क़ी करते करते अपने तिब्बी कमाल तक पहुंच जाती है उस वक़्त वह कामिल है।

(उद्धृत मल्फ़ूज़ात भाग 7 पृष्ठ 382-383 ऐडीशन 1984 ई.)

आप अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं : "ख़ुदा हुक्म फ़रमाता है कि समस्त दुनिया के साथ तुम इंसाफ करो अर्थात जिस क़दर हक़ है उसी क़दर लो और इन्साफ़ से बनीनौ के साथ पेश आओ। और इस से बढ़कर यह हुक्म है कि तुम बनीनौ से एहसान करो अर्थात वह सुलूक करो जिस सुलूक का करना तुम पर फ़र्ज़ नहीं केवल प्रेम है। परंतु चूँकि एहसान में भी एक ऐब मख़फ़ी है कि साहब-ए--एहसान कभी नाराज़ हो कर अपने एहसान को याद भी दिला देता है। इस लिए इस आयत के आख़िर में फ़रमाया कि कामिल नेकी यह है कि तुम अपने बनीनौ से इस तौर से नेकी करो कि जैसे माँ अपने बच्चा से नेकी करती है क्योंकि वह नेकी महिज़ तिब्बी जोश से होती है न किसी पादाश की ग़रज़ से। यह दिल में इरादा ही नहीं होता कि यह बच्चा इस नेकी के मुक़ाबिल मुझे भी कुछ इनायत करे। अतः वह नेकी जो बनीनौ से की जाती है कामिल दर्जा उसका यह तीसरा दर्जा है जिसको اِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى के लफ़्ज़ से वर्णन फ़रमाया गया है।"

(चशमा मार्फ़त, रुहानी ख़ज़ायन भाग 23 पृष्ठ 388)

अतः नेकी सिर्फ़ अपनों से नहीं बल्कि प्रत्येक से नेकी और बग़ैर अज्र के नेकी करने का हुक्म है और यही वह मुक़ाम है जिससे ख़ुदा तआला भी मिलता है जैसा कि अल्लाह तआला से ताल्लुक़ के हवाले से भी वर्णन हुआ है।

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कुतुब में और अपनी मजालिस में इस हवाले से बे-इंतिहा ताकीद फ़रमाई है और इस्लाम की ख़ूबीयों में से एक बहुत बड़ी ख़ूबी जो किसी और मज़हब की तालीम में नहीं है यह वर्णन फ़रमाई है।

अतः हमारा काम है कि अल्लाह तआला से ताल्लुक़ के मयार हासिल करने के लिए भी और बंदों के हुक़ूक़ अदा करने के लिए भी इस के अनुसार अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह तआला हमें उसके अनुसार ज़िंदगीयां गुज़ारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपनी इबादत के मयार भी आला रंग में हासिल करने वाले हों। हुक़ूकुल ईबाद अदा करने वाले हों। खासतौर पर आपस में प्यार-ओ-मुहब्बत के रिश्ते को भी इस तरह क़ायम करने वाले हों कि दुनिया के लिए एक उदाहरण बन जाएं।

अल्लाह तआला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ देते हुए हक़ बैअत अदा करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप के बैअत के हक़ में भी यह ' बनीनौ से हमदर्दी' शर्त है। प्रत्येक जुमा हमें अल्लाह तआला के इन अलफ़ाज़ को सुन कर नेकियों में बढ़ने और अपनी इस्लाह करने की तरफ़ तवज्जा दिलाने वाला हो वर्ना हम में और दूसरों में कोई फ़र्क़ नहीं रहेगा। अल्लाह तआला हमारे और ग़ैर में एक वाज़िह फ़र्क़ दिखा दे जिस तरह कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने एक जगह बड़े दर्द से इस का इज़हार फ़रमाया है।

(उद्धृत मल्फ़ूज़ात भाग 9 पृष्ठ 252 ऐडीशन 1984 ई.)

पाकिस्तान के हालात के लिए भी दुआ करते रहें हमने तो नेकियां फैलाने के लिए अपना काम करते चले जाना है और शैतानी फ़ितरत लोगों ने अपने ज़ुलम जो उनका काम है वह दिखाते रहना है। हमारा तो उन शैतानों से इस शैतानी की हालत में मुक़ाबला कोई नहीं। हमें तो यही है कि अल्लाह तआला के हुक्म पर चलने वाले हों।

हमेशा यह दुआ भी करें कि अल्लाह तआला हमारे ईमानों को सलामत रखे और कभी हमारे ईमान मुतज़लज़ल न हों।

अल्लाह तआला से हमारा वह ताल्लुक़ पैदा हो जाए जो اِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى का ताल्लुक़ है। फिर हम अल्लाह तआला के फ़ज़लों के नज़्ज़ारे भी पहले से बढ़कर देखेंगे। इंशा-ए-अल्लाह ताला। और जो दुश्मन हैं अल्लाह तआला की नज़र में और नाक़ाबिल इस्लाह हैं अल्लाह तआला की नज़र में अल्लाह तआला उन्हें ख़ुद तबाह करे और इंशा अल्लाह जब ऐसी सूरत होगी और जब हमारा ताल्लुक़ अल्लाह तआला से होगा तो दुश्मन की तबाही के नज़्ज़ारे भी हम देखेंगे।

★ ★ ★

ख़ुत्बः जुमअः

दुनिया में, समस्त देशों में शूरा इसलिए आयोजित की जाती है कि जहां हम अपनी अमली हालतों को दरुस्त करने के लिए मंसूबा बंदी करें वहां ख़ुदाए वाहिद् का पैग़ाम पहुंचाने के लिए
और दुनिया को उम्मत वाहिदा बनाने के लिए, आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के झंडे के नीचे लाने के लिए ऐसी मंसूबा बंदी करें जो एक इन्क़लाब पैदा करने वाली हो

मैंबरान की कुछ ज़िम्मेदारियाँ मज्लिस-ए-शूरा की सिफ़ारिशात और ख़लीफ़-ए-वक़्त के उन पर फ़ैसले के बाद ही शुरू होती हैं और उनका अंजाम देना और अपना किरदार अदा करना हर मैंबर-ए-शूरा का फ़र्ज़ है

जिनके सपुर्द आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के काम को आगे बढ़ाना है और फिर आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी के अनुसार
आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में आने वाले मसीह मौऊद और महदी मौऊद के मिशन को पूरा करना है उनका भी यह काम है कि मुहब्बत, प्यार और नरमी से काम करें

मजलिस-ए-शूरा मश्वरा देने वाली मजलिस है फ़ैसला करने वाली नहीं

हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हो वर्णन करते हैं कि मैंने आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से ज़्यादा किसी को अपने अस्हाब से मश्वरा लेने वाला नहीं पाया

ख़लीफ़-ए-वक़्त भी अल्लाह तआला के हुक्म और आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की सुन्नत के अनुसार दुनिया में फैली हुई जमातों से वहां के हालात के अनुसार मशवरा लेता है

जहां-जहां हमारे शूरा के मैंबरान हैं उनको भी हमेशा याद रखना चाहिए कि जहां वह मश्वरा देते हैं तो सबसे पहले अपने आपको इस बात के लिए तैयार करें कि
हमने इन मश्वरों पर मंज़ूरी के फ़ैसले के बाद अमल करना है या जो भी ख़लीफ़-ए-वक़्त फैसल करेंगे सबसे पहले हमने इस पर अमल करने के लिए हर क़ुर्बानी देनी है

मश्वरा देने वालों को हमेशा याद रखना चाहिए कि उनके मश्वरे नेक नीयती और तक़्वा के आला मयारों के अनुसार होने चाहिऐं

हमेशा याद रखना चाहिए कि मजलिस-ए-शूरा ख़िलाफ़त का मददगार विभाग है और इस लिहाज़ से जमात में ख़िलाफ़त के बाद इसकी बहुत एहमियत है

जहां ठोस मंसूबा बंदी की ज़रूरत है वहां अमली कोशिश की ज़रूरत है, अपनी इबादतों के मयार हासिल करने की ज़रूरत है

अपने अमली नमूने, लोगों से प्यार मुहब्बत का ताल्लुक़, उनका दर्द दिल में रखना, उनके लिए भी और अपने लिए भी दुआ करना
ख़लीफ़-ए-वक़्त की इताअत के मयार को बुलंद करना हर ओहदेदार और हर मैंबर शूरा का विशेष इमतेयाज़ होगा तो तभी एक इन्क़िलाबी तबदीली मजमूई तौर पर हम जमाअत में पैदा होती देखेंगे

हमारे चंदों की आमद की ऐसे अहसन रंग में मंसूबा बंदी होनी चाहिए जिससे हम कम से कम ख़र्च में ज़्यादा से ज़्यादा इशाअत दीन और तब्लीग़ के काम को कर सकें

शूरा की एहमियत और नुमाइंदगान की ज़िम्मेदारियों के बारे में बसीरत अफ़रोज़ वर्णन

ख़ुत्बः जुमअः सय्यदना अमीरुल मो'मिनीन हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद ख़लीफ़तुल मसीह पंचम अय्यदहुल्लाहो तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़, दिनांक 12 मई 2023 ई 2023 ई. स्थान - मस्जिद मुबारक इस्लामाबाद सिर्रे (यू.के)

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

(आले इमरान : 60) आयत का अनुवाद है अतः अल्लाह की ख़ास रहमत की वजह से तू उनके लिए नरम हो गया। और अगर तू तुनदख़ू (और) सख़्त दिल होता तो वह ज़रूर तेरे गिर्द से दूर भाग जाते। अतः उनसे दरगुज़र कर और उन के लिए बख़शिश की दुआ कर और (हर) अहम मुआमला में उनसे मश्वरा कर। अतः जब तू (कोई) फ़ैसला कर ले तो फिर अल्लाह ही पर तवक्कुल कर।यक़ीनन अल्लाह तवक्कुल करने वालों से मुहब्बत रखता है।

इन दिनों में मुख़्तलिफ़ देशों में जमाती मजालिस-ए-शूरा आयोजित हो रही हैं। कुछ मुल्कों में हो चुकी हैं, कुछ में इस हफ़्ते हैं और कुछ आइन्दा हफ़्ते में होंगी।

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ
وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ
-اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
-بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○
مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ○ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ○
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ○ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ
الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ○

जर्मनी की आज शुरू हो रही है। इसके साथ ही और बहुत से मुल्क हैं। इसी तरह यू.के की मजलिस-ए-शूरा अगले हफ़्ते है और उसके साथ और भी देशों हैं।

शूरा की एहमियत और नुमाइंदगान की ज़िम्मेदारियों के बारे में मैं पहले भी ख़ुतबात में तवज्जा दिला चुका हूँ लेकिन इसको क्योंकि अब कुछ साल गुज़र चुके हैं इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आज फिर इस बारे में अल्लाह तआला के हुक्म, आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के उस्वा और जमाती रिवायात और तरीक़ के अनुसार कुछ कहूं। जहां शूरा की मजालिस आयोजित हो भी चुकी हैं वहां के नु-माइंदगान शूरा भी इन बातों से फ़ायदा उठा सकते हैं जो मैंबरान शूरा की ज़िम्मेदा-रियों के हवाले से हैं और मैंबरान शूरा को याद रखनी चाहिऐं क्योंकि मैंबरान की कुछ ज़िम्मेदारियाँ मजलिस-ए-शूरा की सिफ़ारिशात और ख़लीफ़-ए-वक़्त के उन पर फ़ैसले के बाद ही शुरू होती हैं और उनका अंजाम देना और अपना किरदार अदा करना हर मैंबर शूरा फ़र्ज़ का है।

बहरहाल इन ज़िम्मेदारियों की तरफ़ तवज्जा दिलाने से पहले यह आयत जो मैंने तिलावत की है इस की रोशनी में कुछ बातें करूँगा और आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का उस्वा और आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम का तरीक़ वर्णन करूँगा। इस आयत में जहां इस बात की तसदीक़ फ़रमाई गई है कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम अल्लाह तआला की ख़ास रहमत से अपनी उम्मत के अफ़राद के लिए इंतेहाई नर्म-दिल रखने वाले थे वहां इस बात की तरफ़ भी अल्लाह तआला ने हमें तवज्जा दिलाई और हिदायत फ़रमाई कि जिनके सपुर्द आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के काम को आगे बढ़ाना है और फिर आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणियों के अनुसार आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में आने वाले वमसीह मौऊद और महदी मौऊद के मिशन को पूरा करना है उनका भी यह काम है कि मुहब्बत, प्यार और नरमी से काम करें।

अल्लाह तआला फ़रमाता है कि अगर नरमी न दिखाई और सख़्त दिल्ली दिखाई और ग़ुस्सा में आने वाला हुआ तो ये लोग दूर हो जाएंगे। अतः अल्लाह तआला दरगुज़र करने और बख़शिश की दुआ करने का हुक्म फ़रमाता है और फिर साथ ही मश्वरा करने का भी हुक्म फ़रमाया है।

अतः इस उसूल और तालीम के ताबे मजालिस शूरा आयोजित की जाती हैं लेकिन जैसा कि नाम से ज़ाहिर है यह मश्वरा देने वाली मजलिस है, फ़ैसला करने वाली नहीं। इसलिए फ़रमाया कि मश्वरों के बाद जो फ़ैसला तो करे इस पर अल्लाह तआला पर तवक्कुल करते हुए अमल कर और जब अल्लाह तआला पर तवक्कुल होगा तो फिर अल्लाह तआला उसके नतायज भी बे-इंतेहा बरकतों वाले निकालेगा

तवक्कुल की आला तरीन उदाहरण तो आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की ज़ात में हमें नज़र आती है। आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को तो बहुत से मुआमलात में अल्लाह तआला की तरफ़ से बराह-ए-रास्त राहनुमाई मिलती थी लेकिन ख़ासतौर पर इन मुआमलात में आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ज़रूरी ज़रूरी मश्वरा तलब फ़रमाते थे जहां अल्लाह तआला का कोई वाज़िह हुक्म न होता था। और आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम का यह अमल और अल्लाह तआला का यह हुक्म हमें बताने के लिए है कि जमाती ओहदेदारों के अफ़राद-ए-जमात के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए और हमें आपसी मश्वरे से काम करना चाहिए।

अल्लाह तआला का यह एहसान है कि जमात अहमदिया को अल्लाह तआला ने ख़िलाफ़त के इनाम से नवाज़ा है इसलिए ख़लीफ़-ए-वक़्त भी अल्लाह तआला के हुक्म और आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की सुन्नत के अनुसार दुनिया में फैली हुई जमातों से वहां के हालात के अनुसार मश्वरे लेता है।

इस बात में कोई शक नहीं कि अगर अल्लाह तआला चाहता तो आँहज़रत सल्ल-ल्लाहो अलैहि वसल्लम की हर मुआमले में राहनुमाई फ़र्मा देता लेकिन आप सल्ल-ल्लाहो अलैहि व सल्लम को कुछ मुआमलात में मश्वरे का हुक्म देकर आप सल्ल-ल्लाहो अलैहि वसल्लम का कुछ मुआमलात में मश्वरा लेना हक़ीक़त में हमें सही रास्ते पर चलाने और आपसी सहयोग और मश्वरे से काम करने की तरफ़ राहनुमाई के लिए है और उम्मते में वहदत पैदा करने के लिए है। इस बारे में एक हदीस से इस की वज़ाहत है : हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हो से रिवायत करते हैं कि जब شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ की आयत नाज़िल हुई तो आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अगरचे अल्लाह और उस का रसूल इस से मुस्तग़नी हैं लेकिन अल्लाह तआला ने उसे मेरी उम्मत के लिए रहमत का बायस बनाया है। अतः उनमें से जो मश्वरा करेगा वह रुश्द-ओ-हिदायत से महरूम नहीं रहेगा और जो मश्वरा नहीं करेगा वह ज़िल्लत से नहीं बच सकेग। (अल-जामेउलईमान, भाग 10 पृष्ठ 41 हदीस 7136 प्रकाशन मक्तबा रुश्द नाशेरून रियाज़ 2003 ई.)

अतः आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम तो उन मश्वरों से मुस्तग़नी थे और हैं लेकिन इसके बावजूद आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने मश्वरे लिए ताकि उम्मत के सामने वह उदाहरण क़ायम फ़र्मा दें जिससे उम्मत हमेशा अल्लाह तआला की रहमत से हिस्सा लेती रहे और हमेशा रुश्द-ओ-हिदायत के रस्तों पर चलती रहे और ज़िल्लत से बचती रहे।

यह अल्लाह तआला का हम पर ख़ास एहसान है कि हमारे अंदर शूरा का निज़ाम प्रचलित है। अतः उसकी हर अहमदी को आम तौर पर और हर शूरा मैंबर को खासतौर पर क़दर करते हुए अल्लाह तआला का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि उसने हमारे लिए रुश्द-ओ-हिदायत का सामान पैदा फ़र्मा दिया है।

आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने किन अवसरों पर मश्वरे लिए और आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के मश्वरे का क्या तरीक़ था इस बारे में हमें तारीख़ से जो पता चलता है वह कुछ वर्णन करता हूँ। यही तरीक़ ख़ुलफ़ाए राशेदीन ने भी जारी रखा और फिर उस ज़माने में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी इसी पर अमल किया।

उमूमन मश्वरा लेने के लिए तीन तरीक़ हमें नज़र आते हैं। एक यह तरीक़ था कि जब मश्वरे के काबिल कोई मुआमला होता तो एक शख़्स ऐलान करता कि लोग जमा हो जाएं और लोग जमा हो जाते और फिर जो राय होती, जो मश्वरा होता उस पर आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम या खलिफ़ा फ़ैसला कर देते कि इन मश्वरों के बाद हमारा यह फ़ैसला है, इस तरह इस पर अमल होगा। इस ज़माने में क्योंकि सरदारी निज़ाम था इसलिए उमूमन गो क़बीले के बहुत सारे लोग जमा हो जाते थे लेकिन राय सरदार या अमीर ही देते थे। उनका एक नुमाइंदा होता था। और लोग इस बात पर बख़ुशी राज़ी होते थे कि हमारा सरदार या अमीर हमारी नुमाइंदगी में राय दे। बल्कि उस वक़्त के रिवाज के मुख़ालिफ़ अगर कोई जोश में अपनी राय देने की कोशिश भी करता तो आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम फ़रमाते कि अपने सरदार या अमीर से कहो कि वह आगे आकर अपनी राय दे। तुम्हारी बात की इस तरह कोई एहमियत नहीं है। अतः यह एक तरीक़ था।

दूसरा तरीक़ यह था कि जिन लोगों को आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम मश्वरे के योग्य समझते उन्हें बुला लेते और उमूमी तौर पर सबको न बुलाया जाता और फिर इन चंद लोगों की मजलिस से मश्वरा लिया जाता।

तीसरा तरीक़ यह था कि जहां आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम समझते कि दो आदमी भी इकट्ठे जमा नहीं होने चाहिऐं वहां आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम अलैहदा अलैहदा बुला कर मश्वरा लेते। पहले एक को बुला कर मश्वरा लेते फिर दूसरे को बुला कर मश्वरा लिया जाता।

(उद्धृत खुतबाते शूरा, भाग पृष्ठ 6-7 मज्लिस मुशावरत 1922 ई.) बहरहाल आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के ये तीन तरीक़ थे मश्वरा लेने के और ख़ुलफ़ाए राशिदीन ने भी इस के अनुसार ही मश्वरा लिया। जैसा कि वर्णन हो चुका है कि आँ-हज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह और उस का रसूल इन मश्वरों से मुस्तग़नी हैं लेकिन इस के बावजूद हमें तारीख़ से पता चलता है कि आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने मुख़्तलिफ़ अवसरों पर मश्वरे लिए बल्कि आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम तो बहुत ज़्यादा सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु से मश्वरे लिया करते थे इसलिए हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हो वर्णन करते हैं कि मैंने आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से ज़्यादा किसी को अपने अस्हाब से मश्वरा लेने वाला पाया।

(सुंन अल्तिरमज़ी, अबवाब उल-जिहाद ,बाब मा जाआ फ़ी अल्मशवरः, हदीस 1714)

और यह सब कुछ इसलिए था कि जैसा कि मैंने कहा कि अगर अल्लाह तआला का नबी जिसको अल्लाह तआला की राहनुमाई बराह-ए-रास्त हासिल है मश्वरा लेता है तो तुम लोगों को किस क़दर मश्वरे की एहमियत को समझने की कोशिश करनी चाहिए। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के मश्वरे का एक वाक़िया वर्णन करता हूँ। एक रिवायत में है : हज़रत मआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने जब मुझे यमन भिजवाने का फ़ैसला फ़रमाया तो हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने बहुत से सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु से मश्वरा तलब किया। इन सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो, उम्र रज़ियल्लाहु अन्हो, उसमान रज़ियल्लाहु अन्हो, तलहा रज़ियल्लाहु अन्हो, ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हो और बहुत से सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु थे। हज़रत अबूबकर रज़ि-यल्लाहु अन्हो ने अर्ज़ की कि अगर हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम हमसे मश्वरा न तलब फ़रमाते तो हम कोई बात न करते। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने इस

पर फ़रमाया कि जिन उमूर के बारे में मुझे वह्यी नहीं होती उनके बारे में मैं तुम्हारी तरह ही होता हूँ।

जिन उमूर के बारे में मुझे वह्यी नहीं होती उनके बारे में मैं तुम्हारी तरह ही होता हूँ। मआज़ रज़ियल्लाहु अन्हो बताते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के इस फ़रमान के अनुसार कि मुझे मश्वरा दो जब हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम राय ले रहे थे तो हर शख़्स ने अपनी अपनी राय वर्णन की और इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मआज़ तुम बताओ। तुम्हारी क्या राय है। तो मैंने अर्ज़ किया कि मेरी वही राय है जो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो की है। (अल्मोजमुल-कबीर तिबरानी, भाग 20 पृष्ठ 67 हदीस 124 प्रकाशन दारुल आह्या अल्तुरास् अरबी बेरूत)

तो आपसे भी उन्होंने पूछा। अतः जहां आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का यह इज़हार अपनी सादगी और आजिज़ी और मश्वरे की एहमियत को ज़ाहिर करता है वहां हमारे लिए उत्तम उदाहरण है कि हमें किस क़दर मश्वरों को एहमियत देनी चाहिए और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु का उदाहरण हमें यह बताता है कि वह जब आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के हुक्म से मश्वरा देते थे तो फिर अपनी सलाहियतों और तजुर्बे के अनुसार तक़्वा पर चलते हुए मश्वरा दिया करते थे।

फिर मदीना हिज्रत के बाद भी जब कुफ़्फ़ार-ए-मक्का ने मुस्लमानों के अमन--ओ-सुकून को बर्बाद करने की कोशिश की तो आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने इसके निवारण के लिए सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु से मश्वरा लिया और अंसार के सरदारोँ को भी इस में शामिल फ़रमाया, मुहाजेरीन के सरदारोँ को भी शामिल फ़रमाया और फिर मुहाजेरीन और अंसार के सरदारोँ के मश्वरे और रजामंदी से आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम बदर की तरफ़ रवाना हुए। और अंसार के सरदारोँ ने इस मश्वरे के दौरान जो इख़लास-ओ-वफ़ा का उदाहरण दिखाया और अह्द किया इस पर आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने इंतेहाई ख़ुशी और इतमेनान का भी फ़रमाया।

(उद्धृत सीरत ख़ातम नबिय्यीन सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम अज़ साहिबज़ादा हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहिब एम.ए, पृष्ठ 354-355)

इसलिए कि मश्वरा केवल मश्वरा की हद तक नहीं है बल्कि मश्वरा देने वालों का अमल और रवैय्या और इस मश्वरे पर ख़ुद सबसे पहले अमल करने का अह्द है।

अगर अमल करने का अह्द नहीं और फिर हक़ीक़त में इस पर अमल नहीं तो फिर मश्वरा बेफ़ायदा है। और हमने देखा कि किस तरह बदर के मैदान में इख़लास-ओ-वफ़ा का अमली इज़हार फिर इन सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया। जब मश्वरा दिया तो फिर अपनी जान की बाज़ी लगा दी। अतः जहां--जहां हमारे शूरा के मैंबरान हैं उनको भी हमेशा याद रखना चाहिए कि जहां वह मश्वरा देते हैं तो सबसे पहले अपने आपको इस बात के लिए तैयार करें कि हमने इन मश्वरों पर मंज़ूरी के फ़ैसले के बाद अमल करना है या जो भी ख़लीफ़-ए--वक़्त फैसला करेंगे सबसे पहले हमने इस पर अमल करने के लिए हर क़ुर्बानी देनी है।

जब अपने अमली नमूने क़ायम होंगे तो फिर ही अफ़राद-ए-जमाअत भी ख़ुशी से इस पर अमल करने के लिए हर क़ुर्बानी के लिए अपने आपको पेश करेंगे। शूरा के मैंबरान को यह हमेशा सामने रखना चाहिए कि हर अहमदी का ख़िलाफ़त से वफ़ा और इताअत का अह्द है तो उसके लिए सबसे आला उदाहरण ओहदेदारान और शूरा के मैंबरान को दिखाना चाहिए क्योंकि आप इस इदारे के मैंबर बनाए गए हैं जो निज़ाम-ए-ख़िलाफ़त और निज़ाम-ए-जअमात का मददगार है।

हमेशा याद रखें कि जहां यह हुक्म ख़लीफ़-ए-वक़्त को है कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलते हुए दीन के अहम कामों में उम्मत के लोगों से मश्वरा लो, इसी तरह नर्म-दिल रहने और दुआ का भी हुक्म है। उन लोगों को भी यह हुक्म है जिनसे यह मश्वरा लिया जाता है कि नेक नीयत हो कर तक़्वा पर चलते हुए मश्वरा दो। अतः मश्वरा देने वालों को हमेशा याद रखना चाहिए कि उनके मश्वरे नेक नीयती और तक़्वा के आला मयारों के अनुसार होने चाहिऐं।

अतः इस लिहाज़ से मश्वरा देने वालों की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वह जायज़ा लें कि उनका तक़्वा किस मयार का है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हो की एक रिवायत तो यहां तक वज़ाहत करती है, आप रज़ियल्लाहु अन्हो ने फ़रमाया कि شَاوِرُوا الْفُقَهَاءَ وَالْعَابِدِيْنَ (कंज़ुल् अअम्माल, भाग 3 पृष्ठ 411 हदीस 7191प्रकाशन मोस्सा रिसाला बेरूत 1985 ई.)

अर्थात समझदार और इबादतगुज़ार लोगों से मश्वरा करो हर एक से नहीं। अतः यह मयार है नुमाइंदगान का इस में उन लोगों के लिए भी नसीहत है जो नुमाइंदगान शूरा चुनते हैं कि अपने में से ऐसे लोग चुनें जो बज़ाहिर साहिबे राय रखने वाले हैं, दीनी इलम में बेहतर हैं और इबादत के मयार भी अच्छे हैं।

जहां भी इस मयार को सामने रखते हुए नुमाइंदगान चुने जाते हैं इन नुमाइंदगान की राय में मैं ने देखा है कि एक नुमायां फ़र्क़ नज़र आ रहा होता है। और यह ज़िम्मेदारी है इन नुमाइंदगान की भी कि अगर हुस्न-ए-ज़न रखते हुए अफ़राद जमात ने किसी को शूरा का नुमाइंदा चुना है तो वह इस हुस्न-ए-ज़न पर पूरा उतरे। एक दिन में या चंद हफ़्तों में कोई इलम के आला मयार और दीन की गहराई को तो नहीं जान सकता, हासिल नहीं कर सकता लेकिन तक़्वा पर चलते हुए अपनी राय हर किस्म के मुफ़ाद से बाला-ए-तर हो कर तो हर कोई दे सकता है। इसी तरह अल्लाह तआला के आगे झुकते हुए, उस से सहायता मांगते हुए, दुआ के साथ जहां-जहां शूरा आयोजित हो रही हैं वहां के नुमाइंदगान को अपनी राय देनी चाहिए न कि किसी मुक़र्रर की तक़रीर से मुतास्सिर हो कर और न ही किसी ताल्लुक़ और दोस्ती का ख़्याल रखते हुए अपनी राय को दूसरों की राय के साथ मिलाना चाहिए और न ही किसी भय या लिहाज़ की वजह से अपनी राय बदलनी चाहिए बल्कि तक़्वा सामने रखते हुए जमात के मुफ़ाद को हर बात पर मुक़द्दम करते हुए जब राय देंगे तो तभी हक़ीक़त में वह अपनी नुमाइंदगी का हक़ अदा करने वाले बनेंगे।

हमेशा याद रखना चाहिए कि अल्लाह तआला हमारे दिलों के हाल भी जानता है और हमारे हर अमल को भी देख रहा है। अगर मैं उस की रज़ा को सामने रखकर काम नहीं कर रहा तो कहीं अल्लाह तआला की नाराज़गी लेने वाला न बन जाऊं। इसी तरह जहां शूरा हो चुकी है वहां शूरा के मैंबरान अपना हक़ अब इस तरह अदा करें कि अपने अमली नमूने हमेशा अपनी रुहानी और अमली हालत पर नज़र रखते हुए गुज़ारने का अह्द करें और जो फ़ैसले हों या हुए हैं उन पर तक़्वा से चलते हुए अमल करने और करवाने की कोशिश करें

जब हम यह हालत पैदा करेंगे तभी हम अल्लाह तआला की रहमत को जज़ब करने वाले भी होंगे और हमारे फ़ैसलों में बरकत भी पड़ेगी वर्ना हमारा जमा होना और अपनी राय के लिए पुरज़ोर तक़रीरें करना इन दुनियावी असैंबलियों की तरह होगा जहां तक़्वा उद्देश्य है और ऐसे फ़ैसले होते हैं जो बसा--औक़ात अख़लाक़ को भी पामाल करने वाले होते हैं और अल्लाह तआला के हुक्मों के भी ख़िलाफ़ होते हैं। अपनी पार्टी के उद्देश्यों को सामने रखा जाता है। बाज़-औक़ात जल्द ही ऐसे ग़लत-फ़ैसलों के नतायज भी निकल आते हैं जो अमन-ओ-सुकून बर्बाद करने वाले होते हैं और बाज़-औक़ात देर से भी नतायज निकलते हैं लेकिन बरकत उनमें कोई नहीं होती लेकिन बहरहाल ऐसे फ़ैसले जो अल्लाह तआला के क़ानून और हुक्मों के ख़िलाफ़ हों फिर आख़िर में क़ौमों की तबाही का ज़रीया बनते हैं।

अतः दुनिया-दारों की हालतों को देखकर भी हमें अपनी हालतों को बेहतर करने की तरफ़ तवज्जा रखनी चाहिए।

जैसा कि मैंने कहा शूरा के मैंबरान के मश्वरे ख़लीफ़-ए-वक़्त को पेश किए जाते हैं और ख़लीफ़-ए-वक़्त के कहने पर ही ये शूरा बुलाई जाती है। अतः हिमेश-ए-याद रखना चाहिए कि मजलिस-ए-शूरा ख़िलाफ़त का मददगार इदारा है और इस लिहाज़ से जमात में ख़िलाफ़त के बाद उसकी बहुत एहमियत है और हर मैंबर जो शूरा के लिए मुंतख़ब होता है वह एक साल के लिए मैंबर होता है। उसे अपनी इस एहमियत को हमेशा सामने रखना चाहिए। शूरा के एजंडे और मश्वरे से ही ख़लीफ़-ए-वक़्त को इन मसायल से भी आगाही होती है जो मुख़्तलिफ़ देशों में हैं और फिर जो आरा आती हैं उनसे उन मसायल के हल का लाहे अमल भी सामने आ जाता है। बाज़-औक़ात कुछ बातें किसी मसले के हल के बारे में पूरी तफ़सील से वर्णन नहीं होतीं या मैंबरान-ए-शूरा के सामने ही नहीं आतीं तो ख़लिफ़ा-ए-वकत इन बातों को भी लाहे अमल में शामिल कर लेते हैं और कुछ जगह में भी यही तरीक़ अपनाता हूँ। तो बहरहाल प्रत्येक मेम्बर शूरा को इस बात का मुकम्मल इदराक होना चाहिए कि इस की एक ख़ास एहमियत है और यह एहमियत सिर्फ तीन दिन के लिए नहीं है बल्कि सारा साल के लिए है और जो भी लाहे अमल बनता है इस पर अमल दरआमद करवाने में

और इंतेज़ामीया को इस पर अमल दरआमद के लिए मुकम्मल तआवुन पेश करने की हर शूरा मैंबर को कोशिश करनी चाहिए और यह उसकी ज़िम्मेदारी है और जब यह होगा तो तभी जमाती तरक़्क़ी के मंसूबे सही रास्ते पर गामज़न होंगे और उन पर अहसन रंग में अमल हो सकेगा और रुश्द हिदायत का जो मिशन हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के सपुर्द हुआ है हम इस में मुआ-विन-ओ-मददगार बन सकेंगे। अगर यह नहीं तो शूरा का मैंबर होना बेफ़ायदा है।

यहां यह भी ज़िक्र कर दूं कि दुनिया के हर मुल्क में शूरा उमूमन वहां के अमीर के ज़ेर-ए-सदारत आयोजित होती है और कई दफ़ा राय देने वाले जोश--ए-ख़िताबत में ऐसे शब्द प्रयोग कर जाते हैं जो शूरा के तक़द्दुस के ख़िलाफ़ है। तो पहली बात तो यह है कि मैंबरान जब भी अपनी राय दें तो जोश-ए-ख़िताबत दिखाने की बजाय, होश-ओ-हवास से आरी हो कर तक़रीर करने की बजाय, जज़बाती तक़रीरें करने के बजाय मुनासिब अलफ़ाज़ में अपनी राय दिया करें।

कई दफ़ा राय देने वाले ऐसी बातें कह जाते हैं जिनसे आमिला के मैंबरान या अमीर जमात जिनकी सदारत में शूरा हो रही होती है यह समझते हैं कि राय देने वाला बिल्वासता या बिलावास्ता या बराह-ए-रास्त हमारे ख़िलाफ़ बात कर रहा है और फिर सदर-ए-मज्लिस होने की हैसियत से बोलने वाले को सख़्त शब्दों में रोक दिया जाता है, झिड़क दिया जाता है। तो ओमरा को भी हौसला दिखाना चाहिए। यह हुस्न-ए-ज़न रखना चाहिए कि कहने वाला जो कह रहा है वह जमाती मुफ़ाद के लिए और दर्द रखते हुए कह रहा है।

अगर सख़्त अलफ़ाज़ प्रयोग किए हैं या ऐसे अलफ़ाज़ प्रयोग किए हैं जो शूरा के तक़द्दुस के ख़िलाफ़ हैं तो नरमी से उसे टोक दें। ऐसा रवैय्या न इख़्तियार करें जिससे शुबा हो कि सदर मज्लिस ने इस बात को ज़ाती इज़्ज़त का सवाल बना लिया है।

खासतौर पर बजट के मुआमले में जब बेहस होती है तो ज़्यादा जज़बात का इज़हार हो जाता है और कुछ हकूक का भी इज़हार हो जाता है। ऐसे हालात में भी मुताल्लिक़ा सैक्रेटरी को, सैक्रेटरी माल को और सदर मज्लिस को तहम्मुल से बात सुनकर उसका जवाब देना चाहिए और तसल्ली करवानी चाहिए कि किस तरह का बजट बना, किस तरह आमद है, किस तरह उसके अख़राजात हैं। इस कोjustify किस तरह किया जाता है। कहने वाला तो अपनी तरफ़ से जमाती मुफ़ाद को पेश-ए-नज़र रखकर बात करता है इसलिए बदज़नी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह एजंडे की दूसरी तजावीज़ हैं इस में कई दफ़ा बिलाव-जह की बेहस में इंतेज़ामीया भी और नुमाइंदगान भी उलझ जाते हैं या फिर बिल्कुल ही ख़ामोश हो कर इस तरह हो जाते हैं जैसे इंतेज़ामिया का भय हो। ऐसे लोग भी अपनी अमानत का हक़ अदा नहीं करते।

अतः हमेशा याद रखें कि नुमाइंदगान को लोगों ने इसलिए चुना है कि वह नुमाइंदगी का और अमानत का हक़ अदा करें।

इसलिए न ही ज़ातियात का सवाल होना चाहिए, न किसी किस्म का भय होना चाहिए और हमेशा समझें कि लोगों ने हमें अल्लाह तआला के इस हुक्म के अनुसार मुंतख़ब किया है कि تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا (अल् निसा : 59) कि अमानतें उनके अहल के सपुर्द करो और ख़लीफ़-ए-वक़्त भी यही समझता है कि जब लोगों ने नेक नीयती से अल्लाह तआला के इस हुक्म के अनुसार अपने नुमाइंदे बनाए हैं तो फिर वह उसके अनुसार ही अपनी अमानतों का हक़ अदा कर रहे होंगे। और अगर नुमाइंदगान अपना यह हक़ शूरा और बाद में भी अदा नहीं कर रहे तो न सिर्फ वह अफ़राद-ए-जमात के एतेमाद को ठेस पहुंचा रहे हैं बल्कि ख़लीफ़-ए-वक़्त के साथ भी अपनी अमानत का हक़ अदा न कर के ख़ियानत के मुर्तक़िब हो रहे हैं। लेकिन यहां एक और सूरत भी हो सकती है। कुछ नुमाइंदे चुनने वालों ने भी तक़्वा से काम न लेते हुए नुमाइंदे चुने हैं। रि-श्तेदारियों के ताल्लुक़ की वजह से या दोस्तियों का पास करते हुए मुंतख़ब किए हों।

बहरहाल वे चुनने वाले तो अपने इस अमल में गुनाह-गार हैं कि उन्होंने यह ग़लत काम किया। अगर उन्होंने हक़ अदा नहीं किया तो उन्हें अस्तग़फ़ार करनी चाहिए। लेकिन जो नुमाइंदगान बल्कि ओहदेदारान को भी मैं शामिल करता हूँ कि जब वे मुंतख़ब हो गए हैं और अमली और रुहानी हालत के वे मयार उनमें नहीं हैं जो होने चाहिऐं तो फिर अब वे अस्तग़फ़ार करते हुए, अपनी हालतों में मुसबत तबदीली का अह्द करते हुए और तक़्वा पर चलने की भरपूर कोशिश करते हुए, अपने आपको अमानत के अदा करने का अहल बनाने की कोशिश करें और जब यह कोशिश होगी तो जहां अल्लाह तआला की रज़ा को हासिल कर रहे होंगे वहां हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मिशन में भी मददगार बन रहे होंगे और अपनी अमली और रुहानी हालतों को भी बेहतर कर रहे होंगे।

जैसा कि मैंने कहा नुमाइंदगी एक वर्ष के लिए है और इस अरसा में इंतेज़ा-मिया से तआवुन भी करना है और फ़ैसलों पर ख़ुद भी अमल करना है और करवाना भी है। इस बात के हुसूल के लिए हमेशा यह निगरानी करते रहें कि आपकी जमात में इस पर अमल हो रहा है या नहीं या किस हद तक हो रहा है और इस के अनुसार अमल हो रहा है जिस तरह ख़लीफ़-ए-वक़्त ने फैसल दिया था।

अतः इस तरह आपने ख़लीफ़-ए-वक़्त के मददगार बनना है। कई दफ़ा देखने में आता है कि जमातों में जा कर फ़ैसले ओहदेदारों की सुस्तियों का शिकार हो जाते हैं और जो फ़ैसले होते हैं उन पर अमल नहीं हो रहा होता। अतः ऐसी सूरत में नुमाइंदगान का काम है कि सिर्फ अफ़राद-ए-जमात को ही तवज्जा नहीं दिलानी बल्कि ओहदेदारों को भी उनकी ज़िम्मेदारियों की तरफ़ तवज्जा दिलानी है और अगर फिर भी तवज्जा पैदा नहीं हो रही और इस तजवीज़ पर इस तरह अमल नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए तो फिर मर्कज़ को लिखें। इसी तरह बहुत से ओहदेदार भी शूरा के मैंबर होते हैं। उनका सिर्फ यह काम नहीं है कि अपने शोबा के काम को देख लें बल्कि शूरा की तजावीज़ और उन पर ख़लीफ़-ए-वक़्त के फ़ैसले पर अदमे तामील होने और अमलदरआमद न होने को भी उन्हें संजीदगी से लेना चाहिए। और चाहे उनका अपना शोबा है या किसी दूसरे का, मुताल्लिक़ा ओहदेदार और अमीर को तवज्जा दिलानी चाहिए और आमिला में भी यह मुआमला रखना चाहिए वर्ना फिर ऐसे ओहदेदार भी और ऐसे नुमाइंदे भी अपनी अमानत का हक़ अदा नहीं कर रहे। इस दुनिया में तो कुछ बहाने बना कर बच जाऐंगे लेकिन याद रखना चाहिए कि अल्लाह तआला से कोई बात छिपी हुई नहीं है और वह अमानतों के अदा करने के बारे में पूछेगा। अतः बहुत फ़िक्र का मुक़ाम है। इस बात पर हमें फ़ख़र नहीं करना चाहिए कि हम शूरा के नुमाइंदे हैं या ओहदेदार हैं बल्कि अपनी ज़िम्मेदारी की हर एक को फ़िक्र होनी चाहिए।

जैसा कि मैंने कहा अगर जमाअतों में ओहदेदारों को तवज्जा दिलाने पर भी शूरा के फ़ैसलों पर अमल नहीं हो रहा, नुमाइंदगान कोशिश करते हैं और तवज्जा दिलाने पर वह फिर भी इस पर अमल नहीं करते तो मर्कज़ को इत्तिला करें। इस पर कुछ लोग अब भी अमल करते हैं। यह नहीं कि अमल नहीं हो रहा। कुछ लोग इस पर अमल करते हैं कि अगर ओहदेदार अमल नहीं कर रहे तो मर्कज़ को इत्तिला करते हैं लेकिन उमूमन उस वक़्त यह बात करते हैं जब किसी ओहदेदार से ज़ाती रंजिश की बिना पर इख़्तेलाफ़ पैदा हो जाए। यह तरीक़ तक़्वा का तरीक़ नहीं है। अगर तक़्वा से काम लेते हुए हर नुमाइंदा और हर ओहदेदार शूरा की मंज़ूर शूदा तजावीज़ पर अमल करने और करवाने की कोशिश करे तो फिर कभी यह सूरत पैदा न हो कि वह तजवीज़ दुबारा अगले साल या दो तीन साल बाद पेश होने के लिए आ जाए।

दुबारा तजवीज़ आने का मतलब ही यह है कि इस पर या तो मुकम्मल तौर पर अमल नहीं हुआ या जिस तरह होना चाहिए था उस तरह नहीं हुआ।

अतः ऐसी जमातों और ओहदेदारों को सोचना चाहिए कि क्या यह तक़्वा पर चलने और अपनी अमानतों के हक़ अदा करने का अमल है? क्या यह ख़िलाफ़त से इताअत और वफ़ा के निभाने के अह्द को पूरा करने का अमल है? देश के अंदर जो जमाअतें हैं वे अपने मर्कज़ को भी ऐसी तजावीज़ भेजती ही उस वक़्त जब वे देखती हैं कि इन बातों पर अमल नहीं हो रहा। अगर अमल हो रहा हो और हर सतह पर हर जमात की निगरानी हो रही हो कि किस हद तक अमल हो रहा है तो तजावीज़ दुबारा आएं ही न और न मुल्की मर्कज़ को इन तजावीज़ को ख़लीफ़-ए-वक़्त के पास इस सिफ़ारिश के साथ भेजने की ज़रूरत पड़े कि क्योंकि यह एक साल पहले या दो साल पहले पेश हो चुकी है इसलिए उसको शूरा में पेश करने की सिफ़ारिश नहीं की जाती। यह जवाब लिखते हुए मुल्की मर्कज़ी निज़ाम को शर्मिंदगी का इज़हार करते हुए लिखना चाहिए कि हम शर्मिंदा हैं कि हम इस पर अमल नहीं करवा सके। अब इस साल हम इस पर अमल करेंगे। अगर अमल न करवाएं तो हम मुजरिम होंगे और उन लोगों में शामिल होंगे जो अपनी अमानतों का हक़ अदा नहीं कर रहे। इसलिए यह तहरीर उनको लिखनी चाहिए और फिर लिखें कि लिहाज़ा निहायत वनिम्रता के साथ हम माफ़ी मांगते हुए इस तजवीज़ को इस साल पेश न करने की सिफ़ारिश

करते हैं। जब इस तरह करेंगे तो ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा होगा। कम से कम इस से इंतेज़ामिया और नुमाइंदगान को यह एहसास तो होगा कि वह बड़े बड़े लाहे अमल बना कर ख़लीफ़-ए-वक़्त को पेश करते हैं कि हम ये कर देंगे और वे कर देंगे और फिर इस पर अमल नहीं करते तो वे मुजरिम हैं और ख़लीफ़--ए-वक़्त के एतेमाद को ठेस पहुंचाने वाले हैं। अतः इस लिहाज़ से जहां इजतेमाई लिहाज़ से मुहासिबा हो वहां इन्फ़रादी तौर पर भी ओहदेदार और नुमाइंदा शूरा अपना मुहासिबा करे और अस्तग़फ़ार करे और फिर इस पर अमलदरआमद न करने की वजूहात भी हर सतह पर जानने की कोशिश की जाए। अतः यह जायज़े ही हैं जो जमाती निज़ाम को सही रास्ते पर चला सकते हैं वर्ना ज़बानी बातें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकतीं। मुल्कों के अंदर जायज़े लेने की भी ज़रूरत है कुछ active जमातें अगर सौ फ़ीसद नहीं तो सत्तर अस्सी फ़ीसद तजावीज़ पर अमल कर लेती हैं और एक लगन के साथ करती हैं कि ख़लीफ़--ए-वक़्त की मंज़ूरी से यह लाहे अमल हमें मिला है और हमने ख़लीफ़-ए-वक़्त के एतेमाद को ठेस नहीं पहुंचानी तो उनमें वह क्या जज़बा है? यह मालूम करना चाहिए कि क्या जज़बा है जिसके तहत इस जमात के अफ़राद में यह इन्क़लाब है। ऐसी फ़आल जमातों के ओहदेदारों की कमज़ोर जमातों के ओहदेदारों के साथ मीटिंग करवाई जाए बल्कि मर्कज़ी ओहदेदारों से भी मीटिंग करवाई जाए और उनके तजुर्बात से फ़ायदा उठाया जाए।

अगर किसी जगह एक जमात भी फ़आल और अपने अमली और रुहानी प्रोग्रामों में भरपूर अमल करने वाली है तो दस दूसरी जमातों को अपने तरीक़ा--ए-कार को शेयर करने से फ़ायद पहुंचा सकती है लेकिन बात वही है कि अगर मर्कज़ी निज़ाम में हर सैक्रेटरी और ओहदेदार और नुमाइंदगान शूरा अपना किरदार ईमानदारी से अदा करने वाले हूँ तभी यह होगा।

कुछ जमातों या मुल्कों ने यह जायज़ा भी लिया है और इस का फ़ायदा हुआ है कि पिछले तीन साल में जो जो शूरा के फ़ैसले हुए हैं उन पर किस हद तक अमलदरआमद हुआ है और हो रहा है और फिर वह उसकी तीन महीने की जायज़ा रिपोर्ट मर्कज़ में भिजवाते हैं। उनमें यह एहसास है कि हमने सिर्फ यह कह कर नहीं बैठ जाना कि यह तजवीज़ दो साल पहले पेश हो चुकी है इसलिए पेश नहीं होगी बल्कि मर्कज़ को ये रिपोर्ट देनी है कि हमने इस लाहे अमल पर अमल करके इस हद तक अपने मक़सद को हासिल कर लिया है और मज़ीद कोशिश जारी है। इस से ऐसी जमातों में फिर एहसास ज़िम्मेदारी बढ़ा है। सिर्फ बातों से हम दुनिया फ़तह नहीं कर सकते उसके लिए अमल की ज़रूरत है।

जहां ठोस मंसूबा बंदी की ज़रूरत है वहां अमली कोशिश की ज़रूरत है, अपनी इबादतों के मयार हासिल करने की ज़रूरत है। अगर ओहदेदार और नुमाइंदगान शूरा अपनी इबादतों के मयार बेहतर करने की तरफ़ तवज्जा करें और मस्जिदों को आबाद करने के लिए अपने अमली नमूने दिखाएंगे तो मस्जिदों की आबादी भी तीन चार गुना बढ़ सकती है। इस के भी जायज़े हमें लेने चाहिऐं।

अतः अपने अमली नमूने, लोगों से प्यार मुहब्बत का ताल्लुक़, उनका दर्द--ए-दिल में रखना, उनके लिए भी और अपने लिए भी दुआ करना, ख़लीफ़-ए--वक़्त की इताअत के मयार को बुलंद करना हर ओहदेदार और हर मैंबर शूरा का ख़ास इमतेयाज़ होगा तो तभी एक इन्क़लाबी तबदीली मजमूई तौर पर हम जमाअत में पैदा होती देखेंगे।

एक बहुत बड़ा काम हमारे सपुर्द है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बेअसत का उद्देश्य और आप का मिशन कोई मामूली काम नहीं है। दुनिया में इस्लाम का ख़ूबसूरत पैग़ाम पहुंचा कर दुनिया को ख़ुदाए वाहिद की प्रसतिश करने वाला बनाना मुसलसल कोशिश चाहता है।

दुनिया में, समस्त देशों में शूरा इसलिए आयोजित की जाती हैकि जहां हम अपनी अमली हालतों को दरुस्त करने के लिए मंसूबा बंदी करें वहां ख़ुदाए वाहिद का पैग़ाम पहुंचाने के लिए और दुनिया को उम्मत वाहिदा बनाने के लिए, आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के झंडे के नीचे लाने के लिए ऐसी मंसूबा बंदी करें जो एक इन्क़िलाब पैदा करने वाली हो।

हमेशा याद रखें कि इस सारे काम को अंजाम देने के लिए अख़राजात की भी ज़रूरत है, मालकी भी ज़रूरत है। इसलिए अपने माली बजट को भी इस तरह बनाएँ कि कम से कम अख़राजात में हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले हों। जमात के अफ़राद की अक्सरीयत ग़रीब और औसत दर्जा के लोगों की है। इसलिए हमारे चंदों की आमद की ऐसे अहसन रंग में मंसूबा बंदी होनी चाहिए जिससे हम कम से कम ख़र्च में ज़्यादा से ज़्यादा इशाअत दीन और तब्लीग़ के काम को सरअंजाम दे सकें और यह काम हम इसी सूरत में कर सकेंगे जब हम इस हक़ीक़त को समझने वाले बन जाएं कि हमने तक़्वा पर क़दम मारते हुए अपनी ज़िम्मेदारियों और अमानतों को अदा करना है और ख़िदमत दीन को एक फ़ज़्ल-ए-इलाही समझना है। हज़रत-ए-अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम तक़्वा पर चलने की नसीहत करते हुए एक जगह फ़रमाते हैं कि "يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ (अल् अन्फ़ाल : 30) (फिर फ़रमाया) (अल्हदीद : 29) अर्थात हे ईमान लाने वालो अगर तुम मुत्तक़ी होने पर साबित-क़दम रहो और अल्लाह तआला के लिए इत्तेका की सिफ़त में क़ियाम और इस्तहकाम इख़तेयार करो तो ख़ुदा तआला तुम में और तुम्हारे ग़ैरों में फ़र्क़ रख देगा। वह फ़र्क़ यह है कि तुमको एक नूर दिया जाएगा जिस नूर के साथ तुम अपनी समस्त राहों में चलोगे अर्थात वह नूर तुम्हारे समस्त अफ़आल और अक़्वाल और क़ुवा और हवास में आ जाएगा। तुम्हारी अक़ल में भी नूर होगा और तुम्हारी एक अटकल की बात में भी नूर होगा और तुम्हारी आँखों में भी नूर होगा और तुम्हारे कानों और तुम्हारी ज़बानों और तुम्हारे बयानों और तुम्हारी हर एक हरकत और सुकून में नूर होगा और जिन राहों में तुम चलोगे वह राह नूरानी हो जाएँगी। ग़रज़ जितनी तुम्हारी राहें तुम्हारे क़ुवा की राहें तुम्हारे हवास की राहें हैं वह सब नूर से भर जाएँगी और तुम सरापा नूर में ही चलोगे।" (आईना कमालात-ए-इस्लाम, रूहानी ख़ज़ायन, भाग 5 पृष्ठ 177-178)

अल्लाह तआला हम सबको तक़्वा पर चलते हुए अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तआला हमारी ग़लतियों, कोताहियों और कमज़ोरियों की पर्दापोशी फ़रमाते हुए अपने फ़ज़्ल से हमें हमेशा नवाज़ता चला जाये।

★ ★ ★

अख़बार बदर के अंकों की रक्षा करें

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने की यादगार अख़बार "अख़बार बदर" 1952 ई.से लगातार क़ादियान दारुल अमान से मुद्रित हो रहा है, और जमआत की दीनी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। इस में क़ुरआन-ए-करीम की आयात, आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की हदीसे, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मलफ़ूज़ात और लेखनी के इलावा सय्यदना हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ के ताज़ा ख़ुतबात जुमा और खिताबात, अध्याम्त्पूर्ण संदेश, ख़ुतबा जुमा प्रश्न उत्तर के रूप में और हुज़ूर के दौराजात की निहायत ईमान अफ़रोज़ और दीनी और दुनियावी इलम के ख़ज़ानों से भरपूर रिपोर्टस प्रकाशित होती हैं। इनका अध्यन करना, उनको दूसरों तक पहुंचाना, इन पर अमल करना और उनके माध्यम से अपनी और अपने बच्चों की तालीम-और-तर्बीयत करना हम सब का फ़र्ज़ है। इन समस्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अख़बार बदर के शुमारों को हिफ़ाज़त के साथ अपने पास सुरक्षित रखना हम सब की महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी है।

दीनी तालीम-ओ-तर्बीयत पर आधारित यह मुक़द्दस अख़बार तक़ाज़ा करता है कि इस का सम्मान किया जाए। इस लिए उसको रद्दी में बेचना यह सम्मान का उल्लंघन करने के समान है। यदि इस को सँभालना मुम्किन न हो तो सावधानी के साथ इस को नष्ट करें ताकि इन पवित्र लेखनियों का अपमान न हो। उम्मीद है कि जमआत इस तरफ़ विशेष ध्यान फ़रमाएँ गी और इस से भरपूर लाभ प्राप्त करते हुए इन विषयों को समक्ष रखेंगे।

संस्थान

★ ★ ★

इस्लाम और सय्यदना हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मुख़ालिफ़ अलेक्जेंडर डोई के शहर ज़ायन (zion) से शुरू होने वाली

हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ की ग़ैरमामूली अहमयित और बरकतों की हामिल ऐतिहासिक अमरीका की यात्रा

सितंबर, अक्तूबर 2022 ई. (भाग-9)

8 अक्तूबर 2022 ई. शनिवार का दिन

हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने सुबह 6 बजकर 10 मिनट पर "मस्जिद बैतुल इकराम" पधार कर नमाज़-ए-फ़ज्र पढ़ाई। नमाज़ की अदायगी के बाद हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ अपनी रहने के स्थान पर तशरीफ़ ले गए।

सुबह हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने डाक मुलाहिज़ा फ़रमाया। अमरीका की इस यात्रा के दौरान दुनिया के विभिन्न देशों और जमाअतों से रोज़ाना FAX और ईमेल के माध्यम से ख़ुतूत और रिपोर्टस मौसूल होती हैं। यहां अमरीका के अहबाब की तरफ़ से भी ख़ुतूत और विभिन्न विभागों की रिपोर्टस हुज़ूर अनवर की ख़िदमत में पेश होती हैं। हुज़ूर अनवर इन ख़ुतूत और रिपोर्टस को मुलाहिज़ा फ़रमाते हैं और हिदायात से नवाज़ते हैं।

हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने 1 बजकर 30 मिनट पर "मस्जिद बैतुल इकराम" में तशरीफ़ लाकर नमाज़ ज़ुहर-ओ-अस्र जमा करके पढ़ाई। नमाज़ों की अदायगी के बाद हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने अपनी रहने के स्थान की तरफ़ जाते हुए रास्ता में खाना पकाने वाली टीम के मैंबरान से बातचीत फ़रमाई। ज़याफ़त टीम के मैंबरान किचन के बाहर खड़े थे। मैंबरान ने अर्ज़ किया कि हम कल यहां से अपना सारा काम समेट कर मेरी लैंड जा रहे हैं। हुज़ूर अनवर ने फ़रमाया वहां बैतुलरहमान में भी आपकी टीम सारा इंतेज़ाम सँभालेगी। जिस पर सब मैंबरान ने अर्ज़ किया कि इंशाअल्लाह तआला हम सब वहां सारा काम सम्भालेंगे और कल हम मस्जिद बैतुल रहमान (मेरी लैंड) पहुंच जाएंगे और हुज़ूर अनवर की यात्रा के अंत तक यह ज़िम्मेदारी अदा करेंगे। इसके बाद हुज़ूर अनवर अपनी रहने के स्थान पर तशरीफ़ ले गए।

मस्जिद बैतुल इकराम डैलस की उद्घाटन के सिलसिला में आयोजन

प्रोग्राम के अनुसार 5:30 बजे हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ मस्जिद बैतुल इकराम की lobby में तशरीफ़ ले आए। आज मस्जिद बैतुल इकराम डैलस के उद्घाटन के हवाला से मस्जिद के बैरूनी अहाता में लगाई मार की में एक तक़रीब का एहतेमाम किया गया था।

इस तक़रीब में शामिल होने वाले मेहमानों में से कुछ शख़्सियात का तक़रीब से क़बल हुज़ूर अनवर के साथ मुलाक़ात का प्रोग्राम था। जिस का इंतेज़ाम मस्जिद की लॉबी (lobby) में किया गया था।

सबसे प्रथम ऑनरेबल michael mccaul युवा कांग्रेस मैन ने हुज़ूर अनवर से मुलाक़ात की। वह इस वक़्त ranking member of the house foreign affairs committee हैं।कांग्रेस मैन ने हुज़ूर अनवर से कहा कि आपका दुनिया-भर में अमन और मुहब्बत फैलाने का पैग़ाम मुझे बहुत पसंद है और मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ।

इस पर हुज़ूर अनवर ने फ़रमाया : काश ये लोग समझ जाते, पैग़ाम अच्छा है लेकिन लोग उसे समझने या इस पर अमल करने में हिचकिचाते हैं। अब यह आप पर मुनहसिर है कि आप इस पैग़ाम को कैसे पहुंचा सकते हैं।

कांग्रेस मैन mccaul ने कहा कि पूरी अमरीकी कांग्रेस आपकी हिमायत करने के लिए तैयार है। मैं counter terrorism प्रासीक्यूटर था, होम लैंड सैक्योरिटी का चेयरमैन था और foreign affairs की कमेटी का आने वाला चेयरमैन हूँ और मुझे लोगों से मिलकर दुनिया को बताने की ज़रूरत है कि अहमदिया कम्यूनिटी का क्या मिशन है। हम extremism के ख़िलाफ़ आपकी जद्द-ओ-जहद में आपकी हिमायत करते हैं।

कांग्रेस मेन mccaul के पाकिस्तान और अफगानिस्तानी हुकूमत के बारे में एक सवाल के जवाब में हुज़ूर अनवर ने फ़रमाया : जब से अमरीकी अफ़्वाज अफ़्ग़ानिस्तान से निकली हैं वहां अफ़रातफ़री है। वहां हुकूमत नहीं है। वहां इंतेहापसंदी है। मुल्क दहशतगरदों और इंतेहापसंदों के क़ब्ज़े में है। अब वह इस पैग़ाम को पाकिस्तान तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सियास्तदान भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। वह एक दूसरे के ख़िलाफ़ इंतेहापसंदी को प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप इस खित्ते में अमन चाहते हैं तो बड़ी ताक़तें आगे बढ़ें।

इस पर कांग्रेस मैन ने हुज़ूर अनवर को संबोधित करते हुए कहा कि आप मुस्लमान दुनिया में इंतेहापसंदी के ख़िलाफ़ वाहिद राहनुमा हैं। इस पर हुज़ूर अनवर फ़रमाया: जहां तक इस्लाम धर्म का ताल्लुक़ है तो इस्लाम की तालीमात ने हमें यह कभी नहीं सिखाया कि इस्लाम में इंतेहापसंदी की कोई जगह है। ये सब मौलवियों और मुल्लाओं का ग़लत तसव्वुर है।

कांग्रेस मैन mccaul ने कहा कि मैं अहमदिया कॉक्स (caucus) के चेयरमैन की हैसियत से क़ियादत करूँगा। मैं आप के लिए कांग्रेसी हिमायत के लिए समस्त कांग्रेसियों की हिमायत करूँगा। जिस पैग़ाम के लिए आप खड़े हैं ताकि एक दिन शायद आप अपने वतन वापस आ सकें।

इसके बाद उन्हों ने कहा कि वह हज़रत-ए-अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताब "मसीह हिंदुस्तान में" पढ़ रहे हैं और उनको काफ़ी दिलचस्प लगी है। इस पर हुज़ूर अनवर ने फ़रमाया हज़रत-ए-ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात अमन, मुहब्बत और प्रेम बढ़ाने की थीं। ये बातें हज़रत-ए-ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात की बुनियाद हैं। अहमदिया जमाअत के संस्थापक ने यही दावा किया है कि वह आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के मसीह हैं और हज़रत-ए-ईसा अलैहिस्सलाम के नक़्श-ए-क़दम पर आए हैं। वह वही पैग़ाम लाए हैं ईसा का था। आप के रूप में हज़रत-ए-ईसा पुनः आना हो चुका है।

फिर किताब के बारे में हुज़ूर अनवर ने फ़रमाया कि इस किताब में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने साबित किया है कि ईसा सलीब से बच गए और फिर भारत हिज्रत कर गए और अब काफ़ी संख्या में ऐसे इतिहासकार हैं जो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे ही हुआ है।

अंत में हुज़ूर अनवर ने फ़रमाया कि आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों। आपको इन्सानियत की तालीमात का एहतेराम करना चाहिए और इस तरह प्रत्येक का हक़ अदा कर के हम इस दुनिया में ख़ुश-उस्लूबी से रह सकते हैं। जमाअत अहमदिया के संस्थापक ने यही कहा है कि मेरा पैग़ाम है कि आपका कोई भी मज़हब हो लेकिन बुनियादी बात यह है कि अपने ख़ालिक़ का हक़ अदा करें। बस यह है मसीह मूसा का पैग़ाम और यह है मसीह मुहम्मदी आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का पैग़ाम।

कांग्रेस मैन हज़रत-ए-अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की यह किताब अपने साथ लाए थे और हुज़ूर अनवर से किताब पर दस्तख़त करने की दरख़ास्त की। जिस पर हुज़ूर अनवर ने किताब पर दस्तख़त फ़रमाए। इसके बाद उन्हों ने हुज़ूर अनवर के साथ तस्वीर खिचवाई।

(शेष आगे ..)

रिपोर्ट श्रीमान अब्दुल माजिद ताहेर साहिब)

(ऐडीशनल वकीलुलतिबशीर् लंदन, यू.के)

(बहवाला अख़बार बदर उर्दू 17-24 नवंबर 2022)

★ ★ ★

EDITOR
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Editor : +91-9915379255
e -mail : badarqadian@gmail.com
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF THE NEWSPAPERS FOR INDIA AT NO RN PUNHIN/2016/70553
Weekly **BADAR** Qadian
Qadian - 143516 Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA
POSTAL REG. No.GDP 45/ 2023-2025 Vol. 08 Thursday 22 -29 June 2023 Issue No. 25-26

MANAGER :
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mobile : +91-9915379255
e -mail:managerbadrqnd@gmail.com

नज़ारत नश्र-व-इशाअत की ओर से प्रकाशित होने वाली पुस्तक का परिचय

ख़िलाफ़त का महत्त्व तथा इसके लाभ

यह पुस्तक 2008 ई. में ख़िलाफ़त के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लिखी गई थी, इस पुस्तक की यह विशेषता है कि लेखक ने इस में ख़िलाफ़त से जुड़े हर पहलू को बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है। आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के बाद जो ख़िलाफ़त चली (अर्थात ख़िलाफ़त ए राशिदा) के दौर का भी संक्षेप में वर्णन किया है फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम और आप के बाद जो ख़िलाफ़त ए अहमदिया का निज़ाम जारी हुआ उसका बहुत विस्तार से और सुंदर शैली में वर्णन किया है। सभी ख़लीफाओं की जीवनी और उनके दौर में होने वाली जमात की उन्नति का वर्णन किया गया है। हर ख़लीफा के दौर में जो जमाती उन्नति हुई, घटनाएं घटीं, मस्जिदें बनीं, जो स्कीम लागू हुईं, कबूलियत ए दुआ के लिए वृतांत इत्यादि का उल्लेख किया गया है। खिलाफत के बारे में इतने विस्तार से लिखी यह पहली पुस्तक है जो पाठकों को बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकती है।

पृष्ठ 1 का शेष

का वक़्त आए तो उनका माल उन्हें दे दो। दूसरे इस तरफ़ भी इशारा किया गया है कि अनाथों के अम्वाल की हिफ़ाज़त कोई एहसान नहीं बल्कि ख़ुदा तआला का हुक्म और इस्लामी निज़ाम का एक हिस्सा है इस लिए एहसान समझ कर इस काम को न करो बल्कि फ़र्ज़ समझ कर करो। (2) चूँकि यतीम अपने माल की कमी बेशी के मुताल्लिक़ कुछ दरयाफ़त नहीं कर सकता इस लिए ख़ुदा तआला ने यतीम के माल को अपने अहृद में शामिल कर लिया है ताकि कोई यह समझ कर माल को खा न जाए कि अगर हम खा जाएं गे तो कौन पूछेगा। इस लिए फ़रमाया अगर कोई ऐसा करेगा तो हम पूछेंगे यह हमारा अहृद है।

(3) यह भी हो सकता है कि यतीम का ज़िक्र करके उन लोगोंका ज़िक्र भी साथ कर दिया जो अनाथ तो नहीं होते परंतु अनाथों से मुशाबेह होते हैं । उदाहरणतः कमज़ोर अक़्वाम जो अपने आप को ताक़तवर अक़्वाम की हिफ़ाज़त में दे देती हैं। अतः यतामा के ज़िक्र के साथ उनके हुक़ूक़ की तरफ़ भी तवज्जा दिलाई कि कुछ कोमो में दर्जे के अनुसार अनाथ होते हैं और उनके हुक़ूक़ तुम्हारे क़बज़ा में आ जाते हैं । बे-शक तुम्हारा फ़र्ज़ है कि इस वक़्त तुम उनके हुक़ूक़ की निगहदाशत करो लेकिन हमेशा के लिए उन पर तसर्रुफ़ क़ायम न रखो बल्कि जब उनमें अहलीयत पैदा हो जाए उन्हें उनके माल सपुर्द कर दो। अगर दुनिया इस हुक्म पर अमल करे तो यह क़ौमी तनाफ़ुर जो आज पैदा हो रहा है यकदम दूर हो जाए। इस में कोई शक नहीं कि बाअज़ वक़्त एक ज़बरदस्त क़ौम कमज़ोर क़ौम के हुक़ूक़ की हिफ़ाज़त के लिए उस की निगरानी का काम अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो जाती है परंतु उसका फ़र्ज़ होना चाहीए कि इस मातहत क़ौम के अंदर सलाहीयत पैदा हो जाने पर जल्द से जल्द उसे अपने अम्वाल में तसर्रुफ़ दे और उसकी बलूग़त-ए-क़ौमी के बाद उसके मुल्क और माल पर क़बज़ा रखे।

(तफ़सीर-ए-कबीर, भाग 4 पृष्ठ 332 प्रकाशन 2010 कादियान)

★ ★ ★

ज़रूरी सुधार

अखबार बदर हिन्दी अंक 24 तिथि 15 जून 2023 ई. पृष्ठ 2 पर ख़ुत्बः जुमअः सय्यदना अमीरुल मो'मिनीन हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद ख़लीफ़तुल मसीह पंचम अय्यदहुल्लाहो तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़, दिनांक 28 अप्रैल 2023 ई. प्रकाशित हुआ है जिस की तिथि गलती से 05 मई प्रकाशित हुई है।

इसी प्रकार इसी अंक के पृष्ठ 8 पर ख़ुत्बः जुमअः दिनांक 05 मई 2023 ई. प्रकाशित हुआ है जिस की तिथि गलती से 28 अप्रैल प्रकाशित हुई है। पाठक सुधार करलें। अखबार के अनलाइन अंक में सुधार कर दिया गया है।

★ ★ ★

128वां जलसा सालाना क़ादियान 29, 30, और 31 दिसम्बर 2023 ई. के आयोजित होगा

सय्यदना हज़रत हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने 128वें जलसा सालाना क़ादियान के लिए 29,30,31 दिसंबर 2023 ई. (दिन शुक्रवार, शनिवार और रविवार) की तिथियों की मंज़ूरी प्रदान की है।

जमाअत के लोग अभी से दुआओं के साथ इस मुबारक जलसे में शामिल होने की नियत करके तैयार आरंभ करदें। अल्लाह तआला हम सबको इस अल्लाह की खातिर आयोजित होने वाले इस जलसे से लाभान्वित होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सईद रूहों के लिए हिदायत का माध्यम बनाए। इस जलसे के हर प्रकार से सफ़ल होने के लिए दुआएं करते रहें। आमीन ॥

(नाज़िर इस्लाह वा इरशाद क़ादियान)

Tahir Ahmad Zaheer
M.Sc. (Chemistry) B.Ed.
DIRECTOR
Tahir Ahmad Zaheer
Director oxford N.T.T.College
Jaipur (Rajasthan)
TEACHER TRAINING

OXFORD N.T.T. COLLEGE
(Teacher Training)
(A unit of Oxford Group of Education)
Affiliated by A.I.I.C.C.E. New Delhi 110001
0141-2615111- 7357615111
oxfordnttcollege@gmail.com
Add. Fateh Tiba Adarsh Nagar, Jaipur-04
Reg. No. AllCCE-0289/Raj

HUSSAIN CONSTRUCTIONS & REAL ESTATE
HUSSAIN CONSTRUCTIONS & REAL ESTATE
(SINCE 1964)
क़ादियान में घर, फ्लैट्स और बिल्डिंग उचित कीमत पर निर्माण करवाने के लिए सम्पर्क करें, इसी प्रकार क़ादियान में उचित कीमत पर बने बनाए नए और पुराने घर / फ्लैट्स और ज़मीन ख़रीदने और Renovation के लिए सम्पर्क करें
(PROP: TAHIR AHMAD ASIF)
contact no. : 87279-41071, 83603-14884, 75298-44681
e mail : hussainconstructionsqadian@gmail.com

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor:Shaikh Mujahid Ahmad